राजस्थान विधान सभा

८६ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १९ अक्टूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न , श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २०२४

राजकीय मुद्रणालय द्वारा इस वर्ष क्रय की गई स्टेशनरी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में गवर्नमेंट प्रेस द्वारा कितने मूल्य की स्टेशनरी खरीद की गई ?

(ख) उक्त स्टेशनरी में राजस्थान के बाहर से कितने मूल्य की खरीद की गई ?

(ग) राजस्थान में कहां कहां से कितने कितने मूल्य की स्टेशनरी खरीद की गई और उसमें से राजस्थान के कारखानों से तैयार की गई क्या क्या चीजें हैं और वे कितने कितने मूल्य की हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) चालू वर्ष में अब तक गवर्नमेंट प्रेस से कोई स्टेशनरी खरीद नहीं की गई, क्योंकि स्टेशनरी खरीद करने का अधिकार....

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है ।

श्री जयनारायण व्यास—चालू वर्ष में अब तक गवर्नमेंट प्रेस से कोई स्टेशनरी खरीद नहीं की गई, क्योंकि स्टेशनरी खरीद करने का अधिकार स्टेशनरी परचेज़ कमेटी को है, जिसने हाल ही में टेन्डर मंजूर किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—उस पर्चेज़ कमेटी ने कितने रुपये की स्टेशनरी खरीद की चालू वर्ष में ?

श्री जयनारायण व्यास—पर्चेज़ कमेटी ने जो स्टेशनरी खरीदी है उसका हिसाब नहीं है। इसका टेन्डर मांगा गया है, उसका हिसाब मेरे पास नहीं आया है।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि अभी टेन्डर मांगा गया है, इस दृष्टि से चालू वर्ष में कोई स्टेशनरी खरीदी नहीं गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—गये वर्ष में खरीदी गई है। चालू वर्ष में नहीं खरीदी गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०२५

पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु घटिया कागजों का प्रयोग

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाठय पुस्तकों के प्रकाशकों को कितने पौन्ड के कागज पर पुस्तकों की छपाई कराने की आज्ञा दी गई ?

(ख) क्या यह सही है, कि पाठ्य पुस्तकें बहुत घटिया कागज पर छापी गईं ?

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार, द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)— प्रकाशकों को २८ पौन्ड के सफेद प्रिन्ट कागजों पर छपाने की आज्ञा दी गई थी।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या बाजार में ऐसी कोई मशीनरी है जिसने इस संबंध में जांच की है, कि आया जिस प्रकार के कागज पर पाठ्य पुस्तकों को छपाने की इजाजत दी गई है, उसी प्रकार के कागजों का इस्तेमाल किया गया है, या इनफीरियर क्वालिटी के कागजों का इस्तेमाल किया गया है ?

Page No.3

श्री भोलानाथ—इसकी जांच सुप्रिन्टेन्डेन्ट सरकारी छापेखाने से करवा ली गई थी।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच किस तारीख को हुई ?

श्री भोलानाथ—तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जांच अवश्य कराई गई थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितने पौन्ड के कागज पर छपाने के लिए व्हाइट प्रिन्ट पर छपाने के लिए कहा गया था उसके बजाय न्यूज प्रिन्ट पर छापी गई हैं ?

श्री भोलानाथ—ये बातें बिल्कुल सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री चांदमल मेहता—न्यूज़ प्रिन्ट की बात को आप सही मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल गलत, वह कह तो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The same question should not be repeated. The information that has been supplied is official and should be relied upon.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Not always.

श्री अध्यक्ष—Not always, but then there are other ways open to the Hon'ble Members and repitition of the same question again and again is not desired.

प्रश्न संख्या २०२६

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लालबहादुर सक्सेना।

प्रश्न संख्या २०२७

जयपुर से कोटा तक बस सर्विस

श्री लालबहादुर सक्सेना—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.4

[श्री लालबहादुर सक्सेना]

(क) क्या टोंक से देवली तक गवर्नमेंट बस सर्विस चलती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर से कोटा तक गवर्नमेंट बस सर्विस चलाने को तैयार है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार जयपुर से कोटा तक पब्लिक को लाइन पर गाड़ी चलाने की इजाजत देने का विचार रखती है ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) हां।

(ख) उक्त प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(घ) प्रश्न (ख) के निर्णय के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार कोटा से जयपुर तक बस सर्विस का छः महीने के अन्दर कुछ निर्णय कर लेगी ?

श्री रामकरण जोशी—अवश्य।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०२८

राजकीय मुद्रणालय, जयपुर में मुद्रण की दर महँगी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर की छपाई की रेट्स क्या क्या हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी दफ्तरों की छपाई का काम गवर्नमेंट प्रेस में कराया जाता है ?

Page No.5

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस के मुकाबले में प्राईवेट प्रेसों में छपाई की दरें सस्ती हैं ?

(घ) यदि हां, तो गवर्नमेंट प्रेस में मंहगे रेट पर छपाई करने के लिये दफ्तरों को क्यों मजबूर किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) गवर्नमेंट के निर्धारित रेट लिस्ट भवन की टेबल पर प्रस्तुत हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जो रेट्स मार्केट में हैं उनसे अधिक रेट्स चार्ज करने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने उत्तर दिया है कि अधिक रेट्स नहीं हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्य के दफ्तर, बाजार की रेट्स क्या है इस संबंध में कोई टेन्डर इन्वाइट नहीं करते ?

श्री जयनारायण व्यास—राज्य के दफ्तर टेन्डर्स इन्वाइट नहीं करते क्योंकि राज्य के दफ्तरों ने सबसे पहले यह तय कर रखा है कि अपने ही प्रेस में छपावें और यह भी निश्चय कर लिया है कि अपने यहां रेट्स बाजार की रेटस से कम हैं ।

श्री चांदमल मेहता—किस किस दफ्तर ने और कब कब यह निर्णय लिया कि बाजार की रेट्स गवर्नमेंट प्रेस की रेट्स से मंहगी है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह समय समय पर पूछ-ताछ करके निर्णय किया जाता है, मैं प्रेस से वाकिफ हूं और यह कह सकता हूं कि सिवाय उन प्रेसों के जो गलत छापते हैं, उनके अलावा दूसरे प्रेसों से गवर्नमेंट प्रेस की छपाई सस्ती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार यह आवश्यक नहीं मानती कि दफ्तरों को इजाजत दी जाय कि टेन्डर मांगे और जहां सस्ता हो वहां छपाई का काम करावें ?

श्री जयनारायण व्यास—इस तरह की इजाजत देना करप्शन को बढ़ाना होगा।

श्री चांदमल मेहता—पिछले मरतबा कब इस तरह की जांच की गई कि आया गवर्नमेंट प्रेस की रेट सस्ती है या बाजार की ?

श्री जयनारायण व्यास—बाजार की रेट्स को हम जानते हैं, क्योंकि कभी कभी जब गवर्नमेंट प्रेस के पास छपाई का काम ज्यादा होता है, तो बाजार से भी छपाते हैं। इसलिये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस की छपाई सस्ती है।

श्री चांदमल मेहता—कभी कभी की बात ठीक कही गई, लेकिन वास्तविक जांच सारे राजस्थान के प्रेसेज़ के टेन्डर्स इन्वाइट करके कब की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—सारे राजस्थान की प्रेसेज़ के टेन्डर्स इलेक्शन के समय इन्वाइट किये जाते हैं। वे भाव भी अब कम कर दिये गये हैं, साढ़े छः रुपयों के बजाय साढ़े चार रुपये ही कर दिये गये हैं। इस हिसाब से गवर्नमेंट प्रेस का काम सस्ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या दूसरी प्रेसेज़ से टेन्डर मंगाकर काम कराया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—बार बार टेन्डर मंगाकर जांच की गई तो गवर्नमेंट प्रेस की रेट्स सस्ती मालूम हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस मंहगा होने के अलावा वक्त पर छाप कर नहीं देता ?

श्री जयनारायण व्यास—मंहगा है ही नहीं इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि क्या गवर्नमेंट प्रेस वक्त पर छाप कर नहीं देता ?

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट प्रेस में काम ज्यादा होता है। प्रेस को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जहां तक बन सकेगा गवर्नमेंट प्रेसेज़ ज्यादा बढ़ाकर व्यवस्थित रूप से अपने यहां ही छपाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कामयाब नहीं हुए और काम बच जायगा तो दूसरी प्रेसेज़ से भी छपाया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस की तरफ से इनेबिलिटि सार्टिफिकेट (inabilityCertificate) नहीं दिया जाता हैं और काम सफर होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—इनएबिलिटि सर्टिफिकेट दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—वे काम नहीं कर सकते, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहां तक हमारी प्रेस काम कर सकती है वहां तक ऐसे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने सर्टिफिकेट इस वर्ष दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—नोटिस दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—मैं संख्या नहीं बता सकता। माननीय सदस्यों के पास प्लानिंग की किताब आई हैं वे सब बाहर से छपी हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान गवर्नमेंटप्रेस बाहर की प्रेसज़ से छपाई का काम लेती है या नहीं ? यदि लेती है तो उनकी दर गवर्नमेंट की दर है या और कुछ ?

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट प्रेस की दर एक है, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट प्रेस का ताल्लुक है बाहर से काम कम लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—इनका प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट बाहर से जो छपाई का काम कराती है, वह गवर्नमेंट प्रेस की दर से छपाती हैं या दूसरी दर से ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट प्राइवेट प्रेसेज़ से काम लेती है या नहीं, यदि लेती है तो उनकी रेट्स डिफरेन्ट होती हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—प्राइवेट प्रेसेज़ से आम तौर से काम नहीं लेती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी यह फरमाया आपने कि यहां पर छपाई अच्छी और सस्ती होती है। क्या मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में यह बात आई है कि जागीर रिजेम्पशन एक्ट में बीसियों गलतियां रह गई है और वह गवर्नमेंट प्रेस में छपाया गया है। क्या यह एक्ट जागीरदारों से सम्बन्धित

Page No.8

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

होने के कारण गलतियां जानबूझ कर रखी गई हैं या इन्कोम्पोटेन्सी (Incompetency) की वजह से रह गई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ख्याल से आप जागीर एक्ट में गलतियें ढूंढ रहे हैं। या एक्ट के जल्दी जल्दी में छपाई के कारण कुछ गलतियें रह सकती हैं। कोई काम जल्दी में होता है तो गलतियें रह सकती हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस छपाई में गलतियां होने के कारण रेट में कमी की जायगी या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—छपाई की दर उस वक्त कम की जा सकती है जब कि जल्दी से काम नहीं किया जाय।

प्रश्न संख्या २०२६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्यक्ष ;

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २०३०

कोटा जिले में खोली गई नई डिस्टीलरी

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleasede tostate:-

(a) Is there a distillery in Atru in the Kotah District ?

(d) Has it recently been equipped with Patent Stile for distlling country and other liguor?

(c) What is the capacity of the above distillery to produce liquor of overproof strength ?

(d) Is it working now and who is running it ?

Page No.9

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(अ) हां ।

(ब) हां ।

(स) यह डिस्टीलेरी (distillery) ७०० गैलन रोजाना ६८ ओ. पी. ताकत के शराब तैयार कर सकती है ।

(द) हां, यह कार्य कर रही है और इसको श्री बाला-बक्स नेमीचन्द चला रहे हैं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह जो ओवर प्रूफ का सवाल है कितने ओवर प्रूफ हैं ?

श्री भोलानाथ—मैंने अभी बताया था ६८ ओ. पी. ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—और अंडर प्रूफ कितनी तादाद में बनाते हैं ?

श्री भोलानाथ—ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं उतना बनाते हैं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितनी तादाद तक और वह किस स्टेन्डर्ड का होता है ?

श्री भोलानाथ—मुझे इसको पीने का अनुभव नहीं है ।

कु० श्री जसवंतसिंह—ओफिशियल केपेसिटी में तो आपको अनुभव होना चाहिये ।

श्री भोलानाथ—असल में डिफरेन्ट डिफरेन्ट स्टेन्डर्ड की शराब अलग अलग जगह पर बेची जाती है । आप चाहेंगे तो सब की सूची आपके सामने पेश कर दूंगा ।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या यह डिस्टिलरी कोटा डिविजन की सप्लाई के लिए काफी है ?

श्री भोलानाथ—कोटा डिविजन में २ डिस्टिलरीज़ हैं । एक बूंदी में भी है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह डिविजन की सप्लाई के लिए काफी है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह डिविज़न में काम लेने वालों के ऊपर निर्भर है ।

श्री जवानसिंह—क्या इसके सेम्पल्स भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ—टेस्ट करने वाले भी सामने आवें, तब सेम्पल्स रखे जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—सेम्पल रखने के सप्लीमेंटरीज़ में नहीं एलाउ करूंगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—शायद बात ही बात में नशा आ जाय। अंडर प्रूफ किस स्ट्रेन्थ की बेची जाती है?

श्री भोलानाथ—डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ हैं १५ से लेकर २० तक की बेची जाती है।

राज श्री हिम्मतसिंह—कितने ओवर स्ट्रेन्थ से कितने बनाये जाते हैं?

श्री भोलानाथ—इसके डिटेल्स यदि चाहते हैं कि किस शराब की क्या क्या स्ट्रेन्थ है, तो उसकी सूची पेश कर दूंगा, इस वक्त मेरे पास सूची नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—४०० का बताया ओवर प्रूफ प्रोड्यूस किया जाता है उसका अंडर प्रूफ कितना बन जाता है।

श्री भोलानाथ—आपने जो क्वश्चन पूछा उसका जवाब तो मेरे पास है। बाकी बातों के डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, आप चाहें तो सूची पेश कर सकता हूँ।

प्रश्न संख्या २०३१

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया पारशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २०३२

कुटीर उद्योग योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली रकम-विशेषतया जैसलमेर में भी

श्री हनवन्तसिंह—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) कुटीर उद्योग योजना के अंतर्गत सन् १९५१ से १९५३ तक कितनी रकम खर्च हुई?

(ख) यह रकम किस किस कार्य पर व कहां कहां खर्च की गई?

(ग) क्या इस रकम में से कुछ रकम जिला जैसलमेर में भी खर्च की गई?

(घ) अगर हां, तो कहां पर?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) कुटीर उद्योग योजना के तहत सन् १९५१ से ५३ तक निम्नलिखित रकम खर्च हुई है :

सन् १९५१-५२	३,८७,७६६ रु०
सन् १९५२-५३	४,६७,१५३ रु०
सन् १९५३-५४	७,०९,७४२ रु०

(ख) यह रकम जिस जिस कार्य पर और जहां जहां खर्च हुई उसका नकशा सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ग) हां।

(घ) ३४,८८७ रु० भेडों की नस्ल सुधारने व पशु पालन के लिए वूल ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑर्गनाइज़ेशन, जैसलमेर में खर्च किये गये हैं जिसमें औजार इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

श्री हनवन्तसिंह—जब कि जैसलमेर में ऊन का उद्योग इतना ज्यादा है तो क्या कारण है कि जैसलमेर को इतनी कम रकम दी गई है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मेरा खयाल है कि इस उद्योग का वहां पूरी तरह से एक्स्प्लीइटेशन नहीं हुआ है, या चौकले की ऊन की तरह वहां बढ़िया ऊन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २३१

कोटा जिले में शराब के ठेकेदार द्वारा शराब वितरण

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Will the minister for Separate Revenue be pleased to state:—

(a) Who is supplying the liquor to the Kotah district (name of the contractor)?

Page No.12

[श्री हिम्मतसिंह]

(b) At what rate is he supplying the liquor to the Government Ware Houses ?

(c) Where from is he getting his liquor ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) कोटा जिले में अटरू डिस्टिलरी का सप्लाई कन्ट्राक्टर श्री बालाबखशनेमीचन्द हैं।

(ख) यह शराब डिस्टिलरी का वेअर हाउसेज़ को भेजना व गवर्नमेंट वेअर हाउस से ठेकेदारान बिक्री शराब को सप्लाई करना सप्लायर का फर्ज है और ३ रुपय प्रति लन्दन प्रूफ गैलन के भाव से सप्लाई करता है।

(ग) यह शराब अटरू डिस्टिलरी पर बनाता है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—बी का उत्तर फिर से पढ़ दीजिये।

श्री भोलानथ—थ्री रूपीज़ पर लन्दन प्रूफ बताया न।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर गैलन या पर बोतल ?

श्री भोलानाथ—थ्री रुपीज़ पर लन्दन प्रूफ गैलन।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वेअर हाउस से कितना रुपया पर गैलन के हिसाब से बेची जाती है ?

श्री भोलानाथ—तीन रुपया बोतल से ऊपर के भाव पर बेची जाती है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—गवर्नमेंट इस हद तक ब्लेक मार्केट करती है, ३ रुपया प्रति गैलन के हिसाब से खरीदती है और ३ रुपया से ज्यादा प्रति बोतल के हिसाब से बेचती है। क्या यह ब्लेक मार्केट नहीं है ?

श्री भोलानाथ—इसमें स्पाइसिंग की ड्यूटी, बोतल की कीमत, वेअर हाउस में पहुँचने का खर्चा और इसके अलावा सरकार की एक्साइज़ ड्यूटी भी शामिल है, इसके साथ ही इसको बढ़ा कर रखा गया है इसे प्राइवेटली रखने की कोशिश की गई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सीधा ले कर इसमें स्पाइसेज़ कैसे मिलाया जाता है ?

श्री भोलानाथ—सीधे का तो सवाल नहीं। लंदन प्रूफ तो सरकार डिस्टिलरी से लेती है। सप्लाई का बिक्री का कन्ट्रैक्ट अलग है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें और फिर उत्तर देवें, मेरा सवाल सीधा है। जैसा कि माननीय मन्त्रीजी के उत्तर से प्रतीत हुआ ३ रुपया प्रति गैलन के हिसाब से ३० अंडर प्रूफ लेकर सरकार ३ रुपया १० आना प्रति बोतल के हिसाब से बेचती है। इसके माने यह हुए कि सरकार ३ रुपया गैलन के भाव से खरीद कर १९ रुपया प्रति गैलन के हिसाब से आम जनता को बेचती है। ब्लेक मार्केट की भी हद होनी चाहिये। तो क्या यह ब्लेक मार्केट की हद नहीं है?

श्री भोलानाथ—इस पर सरकार की एक्साइज़ ड्यूटी नियत है। इसमें अलग अलग कन्ट्रेक्टर को देने का है। इसमें एक्साइज़ ड्यूटी सरकार जितनी चाहे लगा सकती है। इसमें आम जनता को बेचने का सवाल नहीं, शराबियों को बेचा जाता है और शराबियों को कहा जाता है कि कीमतें ज्यादा हैं इसलिये इसको पीना बन्द करो।

(हंसी)

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—क्या डिस्टिलरी अटरू है वह कोटा के लिये काफी है या शराब बाहर से मंगाई जाती है?

श्री भोलानाथ—बाहर से नहीं मंगाई, जाती यहीं काफी है।

श्री हिम्मत सिंह—कोटा में बाहर से तो नहीं मगाई जाती?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०३४

जनता को दी जाने वाली शराब अस्वास्थ्यकर

श्री हिम्मतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:

(a) Has the Government ever cared to examine the quality of the liquor supplied to the public?

Page No.14

[श्री हिम्मतसिंह]

(b) Is it true that the stuff is not even worth one-fourth of the price that the public pays for it ?

(c) Is it also in the notice of the Government that the stuff is harmful to the consumers and is not to the liking of the people ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(a) Officers of the Excise Department make surprise visits to liquor shops from time to time and test the liquor kept for sale. In cases where adult eration etc, is found necessary action to punish the defaulter is taken.

(b) No.

(c) No.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—सवाल एडल्टरेशन का यह हो सकता है कि शराब में पानी मिला दिया जावे, पर चीज ही जो खराब होती है उसको गवर्नमेंट इन्स्पेक्टर्स किस तरह से चैक करते हैं ?

श्री भोलानाथ—इसका केमिकल एक्जामिनेशन होता है । The Supply is made from the Government Warehouses and where there is any doubt about the quality of the manufacture, it is immediately sent for chemical analysis.

श्री हिम्मतसिंह—क्या केमिकल एक्जामिनेशन के लिये इन दिनों भेजी गई है ?

श्री भोलानाथ—वह तो आवश्यकता होती है उसके मुताबिक भेजी जाती है ।

श्री हिम्मतसिंह—आवश्यकता आपको मालूम होती है या पब्लिक की शिकायत पर आश्यकता प्रतीत होती है ?

श्री भोलानाथ—दोनों पर ही ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह ठीक है कि ठेकेदार बाहर से रेक्टिफाइड स्पिरिट मंगा कर इसमें पानी मिलाकर बेचते हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं, रेक्टिफाइड स्पिरिट सीधी बाजार में बेची नहीं जाती ।

श्री भैरोंसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं किसी ठेके को जाकर निरीक्षण किया है ?

Page No.15

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—आपने जवाब दिया कि रेक्टीफाइड स्पिरिट सीधी नहीं बिकती, सिर्फ वेअर हाउस में बिकती है; उसको भी आपने कभी चैक किया ?

श्री भोलानाथ—बराबर, ओफिसरों का काम ही यही है। कस्टम कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इन्सपेक्टर इसका इन्सपेक्शन करते हैं और कसूर करने वालों को सजा दी जाती है। यही उनका काम है।

श्री हिम्मतसिंह—यह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब शिकायत होती है, उसका केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। लास्ट एग्ज़ामिनेशन कब हुआ ?

श्री भोलानाथ—आप किस जगह का पूछते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—मैं कोटा के बारे में पूछता हूं।

श्री भोलानाथ—अभी रीसेन्टली हुआ था। किस तारीख को हुआ, अगर आप एक साल के आंकड़े चाहें तो एक साल के और दो-तीन सल के चाहें तो वह भी बता दिये जावेंगे और डिपार्टमेंट से किन किन को सजा हुई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह मामूली तौर पर मानी हुई बात है कि जो शराब मिलती है उसमें १।४ असली शराब है। यह मानकर चलने पर भी मैं यह आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि कितने राज्य के अधिकारियों को इस संबंध में सजा मिली ?

श्री भोलानाथ—आप इस सम्बन्ध में अलग प्रश्न पूछें तो बता दिया जावेगा।

रावत श्री शंभूसिंह—शराब कितने प्रकार के रॉमेटीरीयल से बनती है। (अश्रव्य)

(सदन में चारों ओर से 'सुनाई नहीं दिया' की आवाज)

श्री अध्यक्ष—कितने प्रकार के रॉ मेटीरियल से शराब तैयार होती है ?

श्री भोलानाथ—कभी महुए से और कभी दूसरी चीजों से भी शराब तैयार होती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या एम. एल. एज़. को रियायती दर पर शराब दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ—अगर आप इस प्रकार का कोई कानून बनादें तो।

श्री अध्यक्ष—But that will require my sanction.

(हंसी)

प्रश्न संख्या २०३५

रामगढ़ (सेठों का) के म्युनिसिपल चुनाव में निर्वाचित सदस्य

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रामगढ़ (सेठों का-जिला सीकर) का म्युनिसिपल चुनाव कब कराया गया ?

(ख) उक्त चुनाव में कौन कौन विजयी हुये ?

(ग) उक्त चुनाव को गजट में प्रकाशित करने के लिए कब भेजा गया ?

(घ) क्या यह सही है कि अभी तक उसका गजट में प्रकाशन नहीं हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) रामगढ़ (सेठों का, जिला सीकर) का म्युनिसिपल चुनाव २५. ५. १९५४ को कराया गया।

(ख) निर्वाचित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) श्री गंगाप्रसाद ।
(२) श्री विश्वनाथ शर्मा
(३) श्री बालकृष्णलाल
(४) श्री पुरुषोत्तमलाल
(५) श्री राधावल्लभ
(६) श्री शंकरलाल
(७) श्री वासुदेव ढंड
(८) श्री हरिराम शर्मा
(९) श्री हरिप्रसाद
(१०) श्री रंगलाल गंगावत
(११) श्री हरिप्रसाद मिश्रा
(१२) श्री जीवनराम ।

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) ४. १०. ५४ को ।

(घ) प्रकाशन ८. १०. ५४ को हो गया है।

श्री चांदमल मेहता—चार महीनों तक प्रकाशित नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—कभी कभी नोमिनेशन की सूचना आने में देर हो जाती है।

श्री चांदमल मेहता—इस देर का जवाबदार कौन है और जो जवाबदार है उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रोसेस ही ऐसा है जिससे देर हो जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रोसेस को चेन्ज करने के बारे में सरकार के सामने कोई योजना है ?

श्री रामकरण जोशी—प्रोसेस को चेन्ज करने में कई बातें उल्ट पुल्ट हो सकती हैं इसलिए चेन्ज नहीं किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माना जावे कि इस म्युनिसिपल चुनाव के बारे में जितने समय तक चाहें उतने समय तक की देर की जा सकती है ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो नहीं कहा जा सकता कि जितने समय चाहे देरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक निश्चित प्रोविज़न को पूर्ति नहीं हो तब तक समय लग सकता है।

श्री चांदमल मेहता—कितने समय तक इसको प्रकाशन के लिए भेज देनी चाहिये ?

श्री रामकरण जोशी—चुनाव के बाद सूची सरकार के पास भेजनी पड़ती है, अगर वह इसके साथ ही नोमिनेशन जिनका किया जावे उनकी सिफारिश भी भेज देते हैं तो उसमें देर नहीं लगती और अगर नहीं भेजा जाता है तो उसमें देर लग जाती है क्योंकि उनको जवाब देने में देर लग जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या नामजद सदस्यों को तय नहीं होने की वजह से देर हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह भी एक कारण है।

श्री चांदमल मेहता—दूसरा क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—रिपोर्ट आने में देरी होती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि कलेक्टर सीकर ने चुनाव होने के १५ दिन के बाद सेक्रेटेरियेट में रिपोर्ट भेज दी थी ?

श्री रामकरण जोशी—इसमें देर जरूर लगी है। १५ दिन के बाद रिपोर्ट भेजी फिर सेक्रेटेरिएट में आई।

श्री भैंरू सिंह—जब कलेक्टर सीकर ने रिपोर्ट १५ दिन बाद ही भेज दी तो फिर यहां पर ३॥ महीने लगने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—और जानकारी प्राप्त की गई होगी, जिसमें देर लगी हो।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इसमें किसी प्रकार की राय नहीं जानी गई। कागजात महज आपके ऑर्डर के लिए रखे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह कहना सही नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—कलेक्टर सीकर से ये कागज़ात किस तारीख को पहुँच गये थे ?

श्री रामकरण जोशी—७–८–५४ को प्राप्त हुए थे।

श्री भैंरू सिंह—७–८–५४ के बाद दो महीनों का अर्सा क्यों लगा ?

श्री रामकरण जोशी—नामीनेशन के बारे में दरियाफ्त किया गया।

श्री भैंरू सिंह—कलेक्टर से आखरी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री रामकरण जोशी—कलेक्टर से पहली रिपोर्ट १७–६–५४ को प्राप्त हुई थी।

श्री भैंरू सिंह—मैं आखिरी रिपोर्ट की बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—इन्होंने बताया कि ७-८-५४ को।

श्री भैंरू सिंह—इतना समय क्यों लगा, जब रिपोर्ट ७-८-५४ को पहुँच गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—मिनिस्टर इन्चार्ज के पास पहुँचने में १५ दिन लग गये और वापिस उसी प्रोसेस से जाने में भी कुछ समय लग जाता है। यह तो प्रोसेस है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सेक्रेटेरिएट में आ जाने के बाद भी दो महीने लग जाते हैं प्रोसेस में ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सांख्या २०३६

सिरोही जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के ५५/९ में प्रतिमाह प्रति पुलिस स्टेशन में ३ केस पकड़ने के आदेश

मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Home be pleased to State:-

Is it a fact that the Superintendent of Police, Sirohi District has issued written orders to the effect that at each police station at least three cases in a month should be registered under section 55/9 of the Indian Penal Code ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जी नहीं, यह असत्य है। सन् १९५३ में, जब विविध पुलिस थानों में इन्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये बहुत से केस छानबीन करने के लिये पड़े हुए थे, सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिरोही ने एक आज्ञा अवश्य निकाली थी जिसमें कहा गया था कि कम से कम तीन केसों का, जो इन्डियन पिनल कोड की विविध धाराओं के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये हों, चालान किया जाय।

इस आज्ञा में यह भी कहा है कि प्रत्येक पुलिस थाने से, भविष्य में होने वाले अपराधों की रोक थाम के लिये, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं १०६, १०७ १०९ तथा ११० के अन्तर्गत एक केस चालान किये जाने की आशा की जाती है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि जिला सिरोही में आवारों की संख्या सब से ज्यादा है ?

श्री जवानसिंह—क्या शेरगढ़ तहसील में आवारों की संख्या सबसे अधिक है ?

श्री अध्यक्ष—Mutual exchange of Compliments. Next.

(हंसी)

Page No.20

प्रश्न संख्या २०३७

महाराजा कॉलेज जयपुर में खेल तथा जिम्नेजियम का उचित प्रबन्ध

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) What different kinds of games and sports are provided in the Maharaja,s College at Jaipur ?

(b) Is it a fact that no proper arrangement for Gymnasium is provided for the students in the college ?

(c) Is it also a fact that no games team either sent to any other State from the Rajasthan Colleges nor any outside team is invited to play here ?

(d) Is the Government aware this kind of sending and inviting teams to and from other States will enrich the poor standard of the Rajasthan players and Athletes ?

(e) Is it true that no encouragement is ever made to Tennis players in the Maharaja's College at Jaipur ?

(f) Is it also true that inspite of a number of good players of the above game, the College authorities could not arrange to place a table for this game any where in the College ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(a) Football, Hockey, Cricket, Tennis, Basket Ball, Volley Ball, Badminton, Kabaddi, Khokho and Table Tennis (for boys)

Tennis, Badminton, Throwball and Softball (for girls)

(b) No,

(c) No.

[श्री भोलानाथ]

(d) Yes.

(e) No.

(f) In view of the fact that College continue to work from 8.30 A.M. to 9.20 P.M. no separate place in the Maharaja's College building is available for playing Table Tennis. However the game is played in the College Hostel and in a verandah in the College.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या वरन्डे में काफी जगह है ?

श्री भोलानाथ—काफी जगह है तभी तो खेलते हैं।

श्री अध्यक्ष —नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०३८

जनगणना के आधार पर प्राइमरी, मिड़ल तथा हाई स्कूलें राजस्थान में खोलना विशेषतया जैसलमेर में भी

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष सरकार ने जनगणना के आधार पर प्राईमरी, मिड़िल तथा हाई स्कूल खोलने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या सरकार इस नीति को पूरी तरह कार्यान्वित करेगी ?

(ग) क्या सरकार जैसलमेर जिले में इस वर्ष कोई मिड़ल व हाई स्कूल खोलेगी ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हां।

(ख) हां।

(ग) इस वर्ष जितने हाई स्कूलों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी वह खोल दिये गये हैं। जैसलमेर जिले में इस वर्ष कोई हाई स्कूल नहीं खोला गया क्योंकि अन्य स्थानों पर कई ऐसे उपयुक्त स्थान थे जहां पर हाई स्कूल का खोला जाना अधिक आवश्यक था। मिड़िल स्कूल इस वर्ष खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी—स्वीकृति हुई थी खोले गये, तो स्वीकृति किसकी थी, यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट की ?

श्री भोलानाथ—गवर्नमेंट की ।

श्री तनसिंह—आपने (ग) का जवाब दिया कि हाई स्कूल खोले गये । जैसलमेर में मिडिल या प्राइमरी स्कूल्स क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—प्राइमरी स्कूल्स खोले गये हैं मिडिल स्कूल नहीं ?

श्री हनवन्तसिंह—मिडिल स्कूल नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—योजना नहीं थी ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जिले में भी नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—गंगानगर जिले में हाई स्कूल है ।

श्री हनवन्तसिंह—क्या अब योजना बन सकती है ?

श्री भोलानाथ—हां, हां, क्यों नहीं बनेगी । योजना बन्द थोड़े ही हो गई है ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि जैसलमेर में मिडिल स्कूल या हाई स्कूल का खुलना बहुत आवश्यक है ?

श्री भोलानाथ—हाई स्कूल वहां है । डिस्ट्रिक्ट के लिए मांग कर रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल के लिए अभी उपयुक्त स्थान नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पिछले छः साल में क्या गंगानगर के हिस्से में एक ही हाईस्कूल आया ?

श्री मोतीलाल चौधरी—राजस्थान में कितने हाई स्कल खोले गये ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या २०३९

सिरोही मोटर सर्विस के स्टाफ का एकीकरण

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिरोही मोटर सर्विस के स्टाफ का एकीकरण हो गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या एकीकरण होने तक स्टाफ को तनख्वाहें सिरोही मोटर सर्विस के स्केल के माफिक मिलेगी ?

(ग) अगर हां, तो क्या बोनस जो हमेशा मिलता रहा हैं वह भी मिलेगा ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) सिरोही मोटर सर्विस का मौजूदा स्टाफ कितना है ?

(च) सिरोही मोटर सर्विस का सालाना मुनाफा गुजिश्ता तीन सालों का कितना हुआ है ?

(छ) सिरोही मोटर सर्विस को सरकार ने अपने आधीन पूर्ण रूप से कब से लिया है ?

(ज) सिरोही मोटर सर्विस को नये कौन कौन से रूट्स (Routes) दिये जाने वाले हैं ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) हां, उक्त प्रश्न भी विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) निम्नलिखत स्टाफ है :

[श्री रामकरण जोशी]

मैनेजर	१	फिटर	१	
इन्जीनियर	१	ब्लेक स्मिथ	१	
ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट	१	कारपेन्टर	१	
एकाउन्टेन्ट	१	क्लीनर्स	१३	
बुकिंग क्लर्क	१	चौकीदार	१	
स्टोर कीपर	१	चपरासी	३	
ड्राइवर्स	११	जलधारी	१	पार्ट टाइम कार्यकर्त्ता
कन्डक्टर्स	४	जलधारिन	१	
		मेहतर	१	

(च) मुनाफा निम्न प्रकार है : मुनाफा

वर्ष	रु०	आ०	पा०
सन् १९५०–५१	४३२२५	११	११
सन् १९५१–५२	२८७७०	०	०
सन् १९५२–५३	३४४६७	६	६

(छ) ता० ६-२-५२ के उपरान्त।

(ज) निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि परमिट आर० टी० ओ० द्वारा दिए जाते हैं।

श्री जवानसिंह—उनका एकीकरण न होने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने उत्तर दिया कि विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—विचाराधीन हो सकता है। मेरा निवेदन करना यह है कि अब उसका कारण क्या है कि एकीकरण न हो सका ?

श्री अध्यक्ष—विचाराधीन होना ही अब उसको फाइनल न करने का कारण है।

(हंसी)

और सप्लीमेन्टरी...

श्री मोहब्बत सिंह—कब से सरकार के विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार ने जब से लिया है तब से विचाराधीन है और जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक विचाराधीन रहेगा ।

श्री मोहब्बत सिंह—कब तक नहीं होगा ?

श्री रामकरण जोशी—जब तक यह विचाराधीन है ।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—क्या ऐसा उत्तर देते हुए सरकार संतोष मानती है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—दीपावली तक हो जायगा ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०४०

राजस्थान विकास विभाग द्वारा ट्रेक्टर खरीदने के आदेश

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान विकास विभाग ने सन् १६५३ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन (सेन्ट्रल) को लगभग २॥ लाख की कीमत के ६ ट्रेक्टर खरीदने का ऑर्डर दिया था ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान के ब्लॉक डेवलेपमेंट के ऑफिसर ने इन ट्रेक्टर्स की अनुपयोगिता का जिक्र करते हुए सरकार को इन ट्रेक्टर्स के नहीं खरीदने की सलाह दी थी ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन ट्रेक्टर्स को क्यों मंगवाया और अब इन ट्रेक्टर्स का क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हां ।

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) ऐसी बात नहीं है। ब्लॉक डेवेलप्मेंट ऑफिसर्स की तजवीज़ पर ही ट्रेक्टर्स मंगाये गये थे। बाद में जब ट्रेक्टर आने वाले थे तब रायसिंहनगर के ब्लॉक ऑफिसर ने प्रकट किया कि इतने भारी ट्रेक्टर उनके ब्लॉक में काम में नहीं आ सकेंगे।

(ग) बाद में यहां से लिखा भी गया कि यदि सम्भव हो तो इन ट्रेक्टरों को और किसी स्टेट को एलॉट कर दिये जावें। यह सम्भव नहीं हो सका। तब ये ट्रेक्टर कृषि विभाग को दिये गये हैं। इनका उपयोग सारे राजस्थान में हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि ट्रेक्टर्स खरीदने के पहले डेवेलप्मेंट ऑफिसर्स की राय नहीं जानी गई थी?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने उत्तर दिया था कि उनके कहने पर मंगवाये गये थे।

श्री भैरूंसिंह—उस समय रायसिंह नगर के डेवेलप्मेंट ऑफिसर ने क्या राय भेजी थी?

श्री जयनारायण व्यास—रायसिंह नगर के डेवेलप्मेंट ऑफिसर ने जब ट्रेक्टर आये थे तब यह राय भेजी थी कि ये ट्रेक्टर्स उपयुक्त नहीं होंगे।

श्री भैरूंसिंह—आपने अभी बताया था कि ट्रेक्टर्स खरीदने के पहले रायसिंह नगर के डेवेलप्मेंट ऑफिसर की राय जानी थी, तो उस समय उनकी क्या राय थी?

श्री जयनारायण व्यास—वह इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या उस वक्त रायसिंहनगर के डेवेलप्मेंट ब्लॉक ऑफिसर ने यह राय नहीं दी थी कि ऐसे ट्रेक्टर्स का उपयोग उनके यहां नहीं हो सकता है?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा मालूम पड़ता है, पहले जिस ऑफिसर ने सरकार को लिखा था और बाद में दूसरा ऑफिसर आगया इसलिए उसने यह राय दी थी कि ये ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या उस ऑफिसर ने यह राय दी थी और रिमाइन्डर भी दिया था कि ये ट्रेक्टर्स उनके यहां उपयोग में नहीं आ सकते हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह मैं देखकर फिर बता सकता हूं।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार ने सही रूप से देख लिया है कि इन ट्रेक्टर्स का उपयोग वहां नहीं हो सकता है, इसलिए कृषि विभाग को दे दिये जांय ?

श्री जयनारायण व्यास—विकास योजना के बारे में कल्पना थोड़ी गलत मालूम होती है। विकास योजना कोई महकमा नहीं है, किन्तु एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कृषि का काम भी है कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का काम भी है और दूसरी तरह के काम भी है। यदि वे कृषि विभाग को एलॉट किये जाते हैं तो वे देश के विकास के लिए ही किये गये हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य—इन ट्रेक्टर्स की कुल कितनी कीमत है?

श्री जयनारायण व्यास—एक एक ट्रेक्टर की २५-२५ हजार रुपया कीमत है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—अभी वे ट्रेक्टर्स कहां २ इस्तेमाल किये जा रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यदि यह प्रश्न कृषि विभाग के मंत्री से पूछा जाय तो इसका वे ही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यह उनसे ताल्लुक रखता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह कैसे समझा जा रहा है कि ये सारे राजस्थान में इस्तेमाल हो रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—सारे राजस्थान में काम आ सकते हैं। कहां कहां इस वक्त काम आ रहे हैं यह विभागीय मन्त्री ही बता सकते हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या २०४१

जिला जैसलमेर में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—जैसलमेर में निम्नलिखित दो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं :

१. पुरूष केन्द्र ता० २४-१०-५३ से
२. महिला केन्द्र ता० २४-१०-५३ से

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०४२

किशनगढ़ सब-डिविजन के ट्रेनिंग में भेजे गए अध्यापक

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में कितने २ अध्यापक किस प्रकार की ट्रेनिंग में कब २ भेजे गये ?

(ख) जो अध्यापक ट्रेनिंग में गये उनके स्थान पर कितने ट्रेन्ड अध्यापक भेजे गये और कब कब ?

(ग) ऐसे कितने अध्यापक हैं जो ट्रेनिंग में जाने वाले अध्यापकों के स्थान पर भेजे गये हैं, और अनट्रेन्ड हैं ?

(घ) कितने नये अध्यापकों की नियुक्ति इस वर्ष में की गई और उनमें से अनट्रेन्ड कितने हैं ?

(ङ) अनट्रेन्ड अध्यापकों का सलेक्शन किस तरह किया गया है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ सब-डिविजन के निम्नलिखित अध्यापक माह जुलाई व अगस्त, ५४ में ट्रनिंग के लिए भेजे गये थे ;

१.	सी. टी.	१
२.	एस. टी. सी.	१
३.	जे. टी. सी.	८

Page No.29

[श्री भोलानाथ]

(ख) ट्रेनिंग पर भेजे गये अध्यापकों के स्थान पर कोई भी ट्रेन्ड अध्यापक नहीं भेजा गया।

(ग) समस्त अनट्रेन्ड अध्यापक ही अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये थे।

(घ) इस वर्ष १४ नये अध्यापक नियुक्त किये गये थे, जिनमें १ ट्रेन्ड था बाकी सब अनट्रेन्ड थे।

(ङ) गत वर्ष जो अध्यापक अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे और बाद में उनका सेवा काल पूरा होने पर माह मई में हटा दिया गया था, उनको माह जुलाई में पुनः नियुक्त किया गया था। उनका सेलेक्शन उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर निरीक्षक, जयपुर द्वारा इन्टव्यूं किये जाने के पश्चात् हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने अध्यापक हैं कि जिनको बगैर इन्टव्यूं के नियुक्त किया गया है ?

श्री भोलानाथ—नियुक्ति के पहले कोई भी अधिकारी इन्टव्यूं जरूर करता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या नये अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कोई आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

श्री भोलानाथ—हां।

श्री चांदमल मेहता—तो जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई उनमें से ऐसे कितने हैं जिनके आवेदन-पत्र आमन्त्रित नहीं हुए ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—आपने देखा होगा कि कुछ तो ऐसे अध्यापक है जो कि सब्स्टीट्यूटेड (substituted) हैं और उनको उनकी एवज़ में लगा दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो पिछले साल काम कर रहे थे उनके अलावा दूसरे अध्यापकों की और नियुक्ति की गई, उनके आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे और ऐसे कितने आदमी नियुक्त किये गए किशनगढ़ सब डिविजन में ?

श्री भोलानाथ—आपने जो ट्रेनिंग में गये थे उनके लिए सवाल पूछा था, और उनके लिये मैंने कहा था कि उनकी जगह अस्थायी रूप से जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था उनका इन्टव्यूं लिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने अध्यापक हैं कि जिन्होंने प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करने के वक्त में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया और उनकी नियुक्ति बाद में कर दी गई ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास इस वक्त कोई सूचना नहीं है। आपने सूचना दी है तो मैं इसकी इन्क्वायरी करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—प्रार्थना-पत्र किस अधिकारी ने कब आमन्त्रित किये ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या २०४३

जैसलमेर में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत रकम

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत किन किन स्थानों पर कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या इस इलाके की, जिन इलाकों को प्राथमिकता दी गई है उनकी अपेक्षा हालत अच्छी है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) १९५४-५५ में जैसलमेर जिले के लिए ४३,६८० रुपया स्वीकार किया गया है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(ख) 'क' भाग के उत्तर के पश्चात् इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं।

(ग) सब ही ऐसे इलाकों में जहां जहां पानी का संकट है, सहायता दिलवाने का ख्याल रखा गया है। जिन जिन इलाकों को प्राथमिकता दी गई है, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी मांगें आने पर दी गई है।

श्री हनवन्तसिंह—यह रकम कब मन्जूर की गई ?

श्री रामकरण जोशी—१९५४-५५ में इसी साल के बजट में।
श्री हनवन्तसिंह—यह रकम थोड़ी बहुत खर्च भी हुई या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो आप दुबारा प्रश्न पूछेंगे तब ही जवाब दिया जा सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या बजट में रकम को रखकर ही माननीय मन्त्रीजी ने सन्तोष मान लिया कि रकम खर्च हो गई है ?

श्री रामकरण जोशी—जो रकम बजट में मन्जूर हुई है, वह पंचायतों द्वारा उठाई जा रही है और सभी जगह काम चल रहा है और रकम खर्च भी हो रही है।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर में कुछ काम भी हुआ है या नहीं इसकी सूचना है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—इस बारे में तलाश किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २०४४

गवर्नमेंट इण्टर कॉलेज, सिरोही में कॉमर्स विषय

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—
Since when has the subject of Commerce been introduced in Inter classes in the Government Inter College, Sirohi ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—Commerce was started in the Intermediate classes at the Government Intermediate College at Sirohi in September, 1952.

श्री मोहब्बतसिंह—१९५४ में कॉमर्स का क्या रिजल्ट रहा और कितने विद्यार्थी इन्टर कॉमर्स के फाइनल में बैठे ?

श्री भोलानाथ—आपने जैसा प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए टाइप राइटर्स की वहां व्यवस्था नहीं है, जब कि सरकार को बराबर लिखा जा रहा है फिर भी टाइप राइटर्स की व्यवस्था नहीं हो रही है ?

श्री भोलानाथ—आपने तो केवल यह प्रश्न पूछा था कि कॉमर्स सब्जेक्ट कब इन्ट्रोड्यूस किया गया, यह सवाल उसके अन्तर्गत नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—इन्होंने आगे के सवाल का पहले ही जवाब पूछ लिया है।

प्रश्न संख्या २०४५

झालावाड़ के समीप के पहाड़ में से सीमेंट निकाला जाना

श्री भगवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या झालावाड़ के नजदीक पहाड़ में से सीमेंट का पत्थर आसानी से निकाले जाने की सम्भावनाएं हैं ?

(ख) इस सम्बन्ध में रियासती जमाने में जो प्रयत्न किये गये थे, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर अविलम्ब ध्यान देगी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हां।

(ख) विस्तृत रिपोर्ट इस बारे में नहीं है।

(ग) इसी वर्ष यहां के खनिजों की प्रारम्भिक जांच यानी सर्वे (Survey) की जायगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—अगर सरकार यह मानती है कि सीमेंट का पत्थर है, तो फिर उसके उपयोग के बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री जयनारायण व्यास—सर्वे हो जाने के बाद इस बारे में निर्णय किया जायगा। सर्वे इसी वर्ष किया जायगा।

प्रश्न संख्या २०४६

बाल मन्दिर, सिरोही में पर्याप्त शिक्षकों का प्रबन्ध

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Is the Government aware of the inadequacy of staff at Balmandir, Siohi ?

[श्री मोहब्बतसिंह]

(b) Is it a fact that as much as sixty or seventy children were refused admission at the beginning of the session for reasons of inadequacy of staff ?

(c) How long will it take for the Government to provide adequate staff for this Institution ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) इस वक्त इस स्कूल में ७५ लड़के और तीन अध्यापिकायें हैं। जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी हैं।

(ख) और ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि पिछले साल अध्यापिकाओं की कमी की वजह से बच्चों के एडमिशन के लिये इन्कार किया गया था ?

श्री भोलानाथ—जितने बच्चे हैं उनके लिये इतनी अध्यापिकायें काफी हैं।

श्री मोहब्बतसिंह—मेरा यह प्रश्न है कि गत वर्ष क्या एडमिशन के लिये इन्कार किया गया था क्या ?

श्री भोलानाथ—एडमिशन के लिए इन्कार किया जा सकता है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार इसको बढ़ाने की नहीं सोच रही है ?

श्री भोलानाथ—मोन्टेसरी स्कूलों को ज्यादा बढ़ाने का सरकार का इरादा नहीं है।

प्रश्न संख्या २०४७

सिरोही में सिरोही बालिका मिड़िल स्कूल की स्थापना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be please to state :—

(a) Is it a fact that sanction has been accorded for a Girls Middle School at Sirohi ?

(b) If so, why has it not yet been started ?

(c) How long will it take for the Government to establish a Girls Middle School there ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) No.

(b) Does not arise in view of reply to part (a).

(c) The question of starting a Girl's Middle School at Sirohi is being actively considered at the moment and such a school may possibly be started even next year.

प्रश्न संख्या २०४८

सन् १९५३-५४ में परवतसर तहसील की पंचायतों को स्वीकृत राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में परबतसर तहसील की पंचायतों को कितना रुपया सहायतार्थ दिया गया ?

(ख) उक्त रुपया किस काम के लिए किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(ग) जो रुपया पंचायतों को दिया गया, क्या वह शर्तों के माफिक खर्च हो चुका है ?

(घ) यदि हां, तो किस किस पंचायत में ?

(ङ) रुपया खर्च होने की जांच क्या किसी अधिकारी द्वारा कराई गई है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—(क) सन् १९५३ में परबतसर तहसील के लिए जल योजना के अन्तर्गत ५६,८५० रु० सहायतार्थ स्वीकार हुआ। इस रकम में से ५१,८५० रु० पंचायतों को दिया जा चुका है।

(ख) उक्त रकम जलाशय के कार्यों के लिये (जिसकी प्रति टेबल पर रख दी गई है) इस शर्त पर दी गई कि प्रत्येक १०० रुपये सरकारी सहयता पर ३३ रु० गंवाई चन्दे, रोकड़ व शरीर श्रम से एकत्रित करेंगे।

(ग) ४०,७२५ रु० पंचायतों द्वारा शर्तों के माफिक खर्च हो चुका है, बाकी कार्य चालू है।

(घ) गांव राणी, सिणियां, झालमलिया, इन्दोला, गोरड़ी एवं धनणया में हिसाब के माफिक रुपया खर्च हो चुका है, बाकी के हिसाब की जांच जारी है।

[श्री रामकरण जोशी]

(ङ) हां, जांच पंचायत इन्स्पेक्टर द्वारा कराई जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तालाब के ऊपर जो खर्चा किया गया, इस संबन्ध में टेक्निकल राय नहीं लेने की वजह से अधिकतर रुपया बरबाद हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—इस प्रकार की सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—किस तालाब पर रुपया लगाना उपयुक्त होगा, इस संबन्ध में टेक्निकल राय देने के लिए पंचायतों को क्या हिदायतें दी गई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायतें वहां के लोकल इन्जीनियर्स ओवरसीयर्स की सहायत से इस काम को आगे करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी पंचायतें हैं, जिन्होंने इस तरह की सलाह नहीं ली और सरकार का रुपया बरबाद किया ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास रुपया बरबाद होने की सूचना नहीं है, केवल प्रिजम्प्शन के आधार पर किये गये प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता।

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने गांव की तरफ से रुपया देना चाहिए वह नहीं दिया और सरकार से रुपया वसूल कर लिया।

श्री रामकरण जोशी—ऐसी एक भी पंचायत नहीं जो इस स्कीम के मुताबिक अपने यहां से पैसा न दे और सरकार से ले ले।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसी भी कोई पंचायत है जिसने अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया और सरकारी रुपये को बरबाद किया ?

श्री रामकरण जोशी—अपने हिस्से का रुपया और शारीरिक श्रम दिये बिना तो कोई पंचायत सरकारी रुपया पा ही नहीं सकती।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो मजदूर पंचायतों द्वारा लगाये गये, वे पंचायत के अपने मजदूरी के हिसाब से रेट्स लगाये हैं, उसके माफिक श्रम और पैसे लेना आवश्यक नहीं था ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसे सवाल अलग से पूछे जांय तो जवाब दिया जा सकता है। सप्लीमेंटरी के अन्तर्गत ऐसे सवालों का उत्तर देना मुमकिन नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जावड़ा पंचायत द्वारा जो रुपया खर्च किया गया वह टेक्निकल सलाह न लेने की वजह से सारा का सारा बरबाद हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जावड़ा पंचायतों द्वारा जो मजदूरी दी गई, क्या वहां के रेट्स से लगाई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। सप्लीमेंटरी की तरह नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि आया कितनी पंचायतों ने मजदूरी की रेट्स में ज्यादा पैसा दिया और गांव वालों ने श्रम और पैसा अपनी ओर से नहीं दिया।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री मोहब्बतसिंह। I am sorry, श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

प्रश्न संख्या २०४३

चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर

श्री किदवई की नियुक्ति

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थान रिक्त होने पर श्री किदवई की नियुक्ति की जा रही है ?

(ग) यदि यह सत्य है, तो क्या सदन में इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—शासन की सुव्यवस्था के हेतु इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—शासन पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—It is his discretion.

श्री जयनारायण व्यास—उसके स्थायित्व पर असर पड़ता है, ऐसे प्रश्न शासन के स्थायित्व पर बुरा असर डालने वाले होते हैं।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, On a point of order, शासन की व्यवस्था में किसी प्रकार का असन्तोष हो या और कोई बड़ी चीज हो, इसका डिस्क्रीशन आप के पास है या माननीय लीडर ऑफ दी हाउस के पास ?

श्री अध्यक्ष—To say that a particular question cannot be replied on the floor of the House on the ground of public interest is the discretion of the Minister concerned, not of the Chair.

प्रश्न संख्या २०५०

सिरोही जिले में मंडार, पिन्डवारा और रोहेड़ा में बालिकाओं के लिए प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

What does the Government propose to do for starting Girls' Primary Schools, at Mandar, Pindwara and Rohera in Sirohi District ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—New primary schools are opened on Tehsil-wise population basis at places where facilities are available. These schools cater to the education for both boys and girls. The question of opening primary schools at Mandar, Pindwara, and Rohera will be considered on its merits and suitability of accommodation.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या हम उम्मीद रखें कि अगले साल से गर्ल्स हाई स्कूल वहां शुरू हो जायेंगे ?

श्री भोलानाथ—मैंने बताया कि मेरिट्स और सूटेबिलिटी आफ एकोमोडेशन (Suitability of accomodation) को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

प्रश्न संख्या २०५१

नगरपालिका किशनगढ़ (जि० जयपुर) द्वारा मदनगंज के पुरुषार्थियों को रियायती दरों पर भूमि देने की सिफारिश

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६) —क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(क) क्या यह सही है, कि नगरपालिका किशनगढ़ (जयपुर जिला) ने मदनगंज के पुरुषार्थियों को मकान बनाने के लिये रियायती दरों पर जमीन देने का प्रस्ताव पास करके सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निश्चित किया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री) —(क) हां।

(ख) सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह—सरकार के पास यह कागजात कब से विचाराधीन है ?

श्री रामकरण जोशी—१३-८-५४ को आवेदन प्राप्त हुआ है तब से विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह—इसमें कितना समय अब और लगने की संभावना है ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो निर्णय के बाद आपको मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहब्बतसिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २०५२

शिवगंज की बोर्डिंग हाउस की संपत्ति का स्वामित्व

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to stae:

(a) Is there any Boarding House at Sheoganj in Sirohi District ?

(b) If so, in whose possession is this Boarding House at present and to whom does this property actually belong ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री) — (a) Yes.

(b) The Boarding House is in the possession of the Head Master, Government High School, Sheoganj.

श्री मोहब्बतसिंह—To whom does this property actually belong ?

श्री भोलानाथ—इनकी प्रापर्टी के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। गवर्नमेंट आफ सिरोही ने यह पट्टा दिया था, वह ट्रस्टीज़ के नाम पर दिया था और इत्तिफाक से उस समय ट्रस्टीज़ नहीं बने थे। इसलिए पट्टा ट्रस्टीज़ के नाम पर है। ट्रस्टीज़ के सामने नहीं आते हैं। ऐसी हालत में माना जा सकता है कि गवर्नमेंट इसकी अधिकारी है।

श्री मोहब्बतसिंह—गवर्नमेंट इसको अपने कन्ट्रोल में क्यों नहीं लेती है ?

श्री भोलानाथ—गवर्नमेंट के सुपरविज़न में है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रापर राइट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट ने खुद ने पट्टा दिया था, ट्रस्टीज़ के नाम पर।

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या २०५३

धौलपुर के हाई स्कूल को इन्टरमीडियेट कॉलेज बनाना।

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर, किशनगढ़ एवं दौसा में हाई स्कूल कौन २ से सन् में खुले ?

(ख) दौसा व किशनगढ़ में इंटरमीडियेट कॉलेज़ किस २ सन् में खोले गये, और उस समय वहां पर विद्यार्थियों की संख्या किस २ कक्षा में क्या २ थी ?

(ग) यदि दौसा व किशनगढ़ हाई स्कूल के बराबर ही धौलपुर हाई स्कूल के विद्यार्थी थे तो धौलपुर में इंटरमीजियेट कॉलेज अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

(घ) क्या धौलपुर स्टेट के समय का ५०,००० रु० धौलपुर के इन्टर कॉलेज भवन के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक में जमा किया गया था ? यदि हां, तो उन रुपयों का क्या हुआ ?

Page No.40

[श्री हंसराज जटिया]

(ङ) क्या राजस्थान सरकार इन्टर कॉलेज़ भवन की कमी की ओर ख्याल करते हुए कोठी नृसिंह नाग व अस्तबल में जो कि पास ही में है, उचित रूप से निर्माण करा कर, कॉलेज खोलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) धौलपुर १९१२

धौलपुर	१९१२
किशनगढ़	१६२५
दौसा	१६४३

(ख) सन् १६५१ में, दौसा ३६०, किशनगढ़ ४२१ व धौलपुर ४६६ ।

(ग) भवन की असुविधा के कारण नहीं खोला गया है ।

(घ) ५०,००० सिक्योरिटी में जमा कराये गये थे, परन्तु वापिस आमदनी में जमा करा दिये गये । इस समय कोई रुपया जमा नहीं है ।

(ङ) नये इन्टर कॉलेज खोले जायेंगे तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री हनवन्तसिंह ।

प्रश्न संख्या २०५४

जैसलमेर के ग्रामों का तहसील मगरा (जि. बीकानेर) में विलीनीकरण तथा उन ग्रामों के कूए

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वायतशासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सब डिवीजन जैसलमेर के जो ग्राम मगरा, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर में गये उनमें कौन २ से ग्रामों में खारा पानी है और कौन २ से ग्रामों में मीठा है ?

(ख) क्या यह सही है कि रणजीतपुरा, तहसील मगरा (जिला बीकानेर) में चौतीडा कुआ पच्चीस हजार की लागत लगाकर भूतपूर्व जैसलमेर रियासत ने बनवाया था ?

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ हाथ बांधना छूट गया था वह वैसी ही हालत में पड़ा हुआ है ?

[श्री हनवन्तसिंह]

(घ) क्या यह भी सही है कि बांधने का सामना सब कूए पर पड़ा है ?

(ङ.) क्या यह सच है कि ऐसे कूए इस तहसील में बहुत कम हैं ?

(च) क्या सरकार इस कूए को बंधवायेगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री) —(क) जांच की गई तो सब डिवीज़न जैसलमेर के जो ३३ गांव मगरा तहसील बीकानेर में गये इनमें खारा पानी प्रायः सभी गांवों में है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, पहले के पत्थर कुछ अभी तक पड़े हुए है। सरकार को इसका न कोई पता ही था न अब तक उसका ध्यान ही आकार्षित किया गया था।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार इस कूए को ठीक करने का अब प्रयत्न करेगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि नम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है:

१. श्री अर्जुनसिंह	दिनांक ११-१०-५४ से १५-१०-५४ तक।
२. श्री भानुप्रतापसिंह	दिनांक ११-१०-५४ से २५-१०-५४ तक।
३. श्री विजयसिंह	दिनांक ११-१०-५४ से पूर्ण सत्र तक केलिए।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.42

[श्री अध्यक्ष]

सदन में पंखा गिरने सम्बन्धी तथ्य जाँच समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

I have to inform the House that the period appointed for the presentation of the report of the Facts Finding Committee on the incident relating to the landing of the fan-body in the House on rhe 14th September, 1954, has been further extended up to the end of the current session.

राजस्थान दहेज निवारक विधेयक, १६५२, की प्रवर समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति

I have to further inform the House that Shri Lalsingh Saktawat, Chairman of the Select Committee on the Rajasthan Prevention of Dowry Bill, 1952, having submitted his resignation from the aforesaid Select Committee a vacancy has occurred thereby and I have appointed Shri Ram Kishore Vyas in his place.

राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट विधेयक, १६५२

(पुरःस्थापन)

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for and regulate the audit of Local Funds under the management or control of certain local authorities in Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इस बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १६५४

(पुरःस्थापना)

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के अधिकारियों और सदस्यों के परिश्रमिक एवं वेतन विधि, १६५४, को आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयनारायण व्यास—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

क्लॉज़ १६ बी

श्री अध्यक्ष—Rajasthan Tenancy Bill. (श्री राजस्व मन्त्री से) कौन से क्लॉज़ लेंगे ? जिनको आप चाहें ले लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, १६ (बी) को जो, ड्राफ्ट करके प्रोपोज़ल्स हैं उनको सर्क्युलेट किया गया। मैं समझता हूँ कि उनके संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लॉज़ पर काफी चर्चा हुई थी और सदन के अन्दर जो वाद-विवाद हुआ उसकी बहुत सी बातों को खयाल में रखते हुए इस क्लॉज़ को रिड्राफ्ट करके सरक्यूलेट किया गया है।

श्री अध्यक्ष—कोई माननीय सदस्य इस पर विचार व्यक्त करना चाहें तो they should catch my eyes.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह मानकर चलता हूँ, इस आधार के ऊपर, कि आपस में बात-चीत करने के पश्चात् इस क्लॉज़ को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस तरह से रखे जाने का जो पहला मस्विदा तैयार किया गया था और उसी हिसाब से और उसी आधार पर मौजूदा प्रस्तुत धारा को माना गया है, और जिस प्रकार के डिसकशन्स इस धारा के ऊपर हुए हैं, उन सब का समावेश इस क्लॉज़ में हुआ है, इसलिए मैं मानकर चलता हूँ। लेकिन एक चीज़ जिसको कि मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया हूँ, इस क्लॉज़ में जहां तक कूए का कम्पेन्सेशन का सवाल है उसको मैं समझ नहीं पाया हूं।

माननीय अध्यक्ष, हम जागीरदारों के साथ में जो राजस्थान सरकार का समझौता किया था और इसकी एक प्रकाशित रिपोर्ट भी है, उसकी तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो जहां तक इन

[श्री जवानसिंह]

कुओं के मुआवजों का सवाल है उसमें निश्चित बातें तय की गई हैं और इन कुओं के लिए कम्पेन्सेशन देना भी तय हुआ था उसको उस स्टेज पर छोड़ दिया गया था और उस चीज़ को हम सामने रखकर उस धारा को अब इस प्रकार से देखते हैं तो मुझे कुछ संशय होता है, कि शायद हम अपने उन पुराने मसौदों को, पुराने मुआयदों को और एग्रीमेंट्स को नजर अन्दाज तो नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम इस बात को भी अपने ध्यान में रखें और साथ में यह भी देखें कि काश्तकार के ऊपर अनुचित दबाव न पड़े। अब यहां पर जिन काश्तकारों को खातेदारी हक देने से संबंध है, इस धारा से उनके ऊपर इस बात का बोझा पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम इस बात को नहीं देखें बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम काश्तकारों को विशेष अधिकार देने जा रहे हैं, कूए पर एक विशेष मालिकाना हक देने जा रहे हैं। इस प्रकार हम यहां पर एक विशेष हक, विशेष चीज़ में देना चाहते हैं। इसलिये कीमत अदा करनी है इस दृष्टिकोण से भी देखें न कि हम केवल इस कीमत को काश्कारों के ऊपर बोझा समझ कर छोड़ दें। इस तरह काश्तकारों को जो कुछ देना है वह इसलिये देना है कि उसमें विशेष अधिकार मिल रहे हैं उस जमीन पर जिस पर कि वे खुद काश्त करते आ रहे हैं और जिस पर भविष्य में उनका मालिकाना हक नहीं है, साथ में जिस कूए से जिस जमीन की सिंचाई होती है उस कूए पर भी हम उसको विशेष अधिकार देने जा रहे हैं और भविष्य में उस पर उसका पूरा मालिकाना हक रहेगा। अब सवाल यह आता है कि यदि हम उस जमीन पर खातेदारी हक उस काश्तकार को देंगे और उसका मुआवजा देंगे तो कूए का मुआवजा क्या होगा? क्या हमने आगे आनेवाली प्रोविज़न्स में निश्चित रकम तय की है या जो रकम हम देने जा रहे हैं वह उचित और न्यायोचित है या केवल एक ही लक्ष्य से चल रही है कि हमें किसानों के ऊपर बोझा नहीं होने देना चाहिये। विधान इस मामले में साफ है। किसी की कोई चीज लेता है तो उसका मुआवजा आवश्यक रूप से देना होता है और इस ख्याल से जब हमारे सामने कूए पर मालिकाना हक देने का सवाल आता है, और इस प्रोविज़न का समावेश हम इस क्लॉज़ में करते हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता है सिर्फ नाममात्र से कूए पर हक देते वख्त कीमत तय की है और इसलिये मेरे ख्याल से यह उतना ठीक नहीं है, दोनों दृष्टिकोणों से काश्तकारों पर बोझा नहीं पड़े और जो जमीन के मालिक हैं उनके साथ भी न्याय हो, उनको पूरी कीमत मिले। इस दृष्टिकोण से चलते हुए जांच करें तो मेरा ख्याल है कि हमने केवल एक ही दृष्टिकोण से इस बात को सोचा है कि काश्तकार खुश हों न कि दोनों के दृष्टिकोण से ख्याल किया है। उन पर बोझ भी न पड़े और उनकी उन्नति बराबर होती रहे यह हमें सोचना चाहिये। मैं क्लॉज़ १६ (५) की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है;

"The sub-divisional officer shall determine the value of the improvements (other than wells) made by the land-holder or at his expense and the amount

[श्री जवानसिंह]

of compensation for the grant of rights in such improvements to the applicant in accordance with the provisions of section 16-CC and 16-E and so on and so forth." तो हमें यहां पर निश्चित रूप से जहां तक कुओं के ऊपर किस तरह का मालिकाना हक देने का और एवज में मुआवजा देने का जो सवाल था उस चीज को नजरअंदाज कर दिया और यह निश्चित नहीं है, न तो इस सदन में इस बात के लिये कोई समझौता हुआ और न अन्दर न बाहर। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि जो एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ उसको भी ईमानदारी से देखें तो मेरा खयाल है कि यह चीज ठीक नजर नहीं आयगी, इसलिये यहां पर इन शब्दों को निकाल दिया जाय तो उचित होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें से "other than wells" को निकाल दें तो मेरे खयाल से ठीक रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के जिन शब्दों पर आपत्ति की गई है उनको यदि आगे की क्लॉज़ेज़ में देखें तो मैं समझता हूं कि आपत्ति का कोई कारण नहीं है। इसकी आगे की क्लॉज़ेज़ में जाकर जो इरिगेटेड लैंड है उसके कंपेनसेशन को वर्क आउट करने के लिये जुदा तरीका दिया है। जहां नालभट का सिस्टम है वहां अलग ढंग से कंपेनसेशन नियत किया गया है। इस जगह यहां पर लैंड का कंपेनसेशन वर्क आउट किया जायगा वह और ढंग से होगा। इम्प्रूवमेंट को वर्क आउट नहीं करने की बात नहीं है। यहां से निकालने का कारण यह है कि जो कुछ जमीन के साथ अटेन्ड हैं उनको अलग नहीं किया जायगा इस वजह से इम्प्रूवमेंट के साथ अलग नहीं है वरना इम्प्रूवमेंट का कोई कंसीड्रेशन नहीं है। ऐसी बातें आगे जाकर क्लियर हो जाती हैं। इसलिये मैं समझता हूँ जो आपत्ति की गई है वह उचित नहीं है और न शब्दों को हटाना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १६ (बी) में श्री चांदमलजी ने रखा था वह स्वीकार किया जाय। जो संशोधन श्री चांदमल मेहता, श्री श्यामलाल गोयल, श्री नाथूलाल मिर्धा और श्री कपिलदेव ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं। जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

श्री जवानसिंह—एक एक को अलग २ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—स्वीकार होने की आशा है क्या ?

श्री जवानसिंह—हम अपनी राय जान लें।

श्री अध्यक्ष—क्या एक एक को अलग अलग रखें ? None of them is present.

श्री वेदपाल त्यागी—परिणाम वही होगा।

श्री अध्यक्ष—जो इन संशोधनों के पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सबस्टीट्युटेड क्लॉज़ १६ बी, जो माननीय राजस्व मन्त्री ने रखा है, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

सबस्टीट्युटेड क्लॉज़ १६ (बी) विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६ सी

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मूव होगा।

श्री अध्यक्ष—We can take it as moved.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes, Sir.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १६ (सी) के बारे में इतना निवेदन करना है कि जैसे सब क्लॉज़ (५) में यहां जो ये शब्द हैं :

"......and the prices thereof determined under clause (4)"......

जहां तक इस सब-क्लॉज़ में प्राइसेज़ डिटरमिन करने का सवाल है वहां (१) और (२) सब-क्लॉज़ेज़ में इस केटेगेरीज़ की प्राइसेज़ को निश्चित करने का तय हुआ है और जहा तक चौथी केटेगेरीज़ में जैसी जमीन है उसकी प्राइस तय करने का सवाल है वह इस क्लॉज़ से गवर्न नहीं होता:

"(5) The different categories and classes of lands divided and sub-divided under clauses (1) and (2), the annual rents determined in respect thereof under clause (3) and the prices thereof determined under clause (4)......"

[श्री जवानसिंह]

तो यह "prices there of" से तो यह हो जाता है कि (१) और (२) सब क्लॉज़ेज़ में जिस तरह एन्युअल रेंट्स तय होती हैं, प्राइसेज़ तय नहीं होती। प्राइसेज़ तय करने का तरीका (४) के लिये है, (१) और (२) के लिये रेंट तय करने का तरीका रखा गया है। इसलिये यह जो वर्ड्स हैं जो 'प्राइसेज देअर ऑफ" यह गलती से रह गया है। प्राइसेज़ आखिरी क्लॉज़ में आयेंगी न कि पहले की क्लॉज़ेज़ में। चौथी केटेगरी की जमीन की प्राइसेज़ तय करने के लिए ही रखा गया है। १ और २ के लिये रेंट निश्चित् करने का तरीका तय किया गया है। मैं समझता हूँ कि असावधानी से ऐसा रह गया है। जांच करेंगे तो पता चलेगा कि यह ठीक चीज नहीं है, जैसा कि इस क्लॉज़ में रखा गया है।

(९-५५ पर श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ में देखा जाय तो इसके अन्दर सब क्लॉज़ (४) कहता है कि ; "The price of the different classes of land of the fourth category mentioned in clause (1) अर्थात् irrigated class जो है यह प्राइसेज़ का डिटरमिनेंटरी क्लॉज़ है। इसमें प्राइसेज़ डिटर्मिन की गई हैं। इसे रेंट डिटर्मिनेशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिये इसका हैडिंग रखा है ; 'Determination of annual rents or price of lands'--

फोर्थ क्लॉज़ में डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज़ है। इसको हटा देंगे तो सब रेंट्स हो जाते हैं। इसलिये जो इसमें है वह ठीक है।

श्री सभापति—(श्री हिम्मतसिंह अटरू) क्लॉज़ १६ सी. में श्री नाथूराम मिर्धा का एक अमेंडमेंट मूव हुआ था, प्रश्न यह है कि उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा का अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सबस्टीट्युटेड क्लॉज़ १६ सी विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

सबस्टीट्युटेड क्लॉज़ १६ (सी) विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 16 c c be taken as moved

(विराम)

इसमें श्री नाथूरामजी मिर्धा का अमेन्डमेन्ट है।

प्रश्न यह है कि उनका संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

श्री नाथूरामजी मिर्धा का अमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ सी. सी. जैसा कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने रखा है विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६ सी. सी. जैसा कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने रखा है विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

Clause 16 D may also be taken as moved.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सदन का ध्यान १६ सी. को कन्सीडर करते वक्त इस बात की ओर आकर्षित किया था कि कूओं के कम्पेन्सेशन का जो सवाल है वह ठीक तौर से तय नहीं किया जा रहा है। अब वह क्लॉज़ आ गया है जहां कि कूओं के कम्पेन्सेशन का सवाल तय किया जाय। मैं क्लॉज़ १६ डी. के सब क्लॉज़ (१) का पार्ट (२) पढ़ता हूं: "in the case of all classes of lands mentioned in category (c) of clause (1) of section 16C, fifteen times such annual rent, which shall be inclusive of the compen-lesation for rights in wells;"

[श्री जवानसिंह]

इसका अर्थ यह हुआ कि जहां तक कूओं के कम्पेन्सेशन का सवाल है वह अलग से तय नहीं किया जायगा, बल्कि कूओं के कम्पेन्सेशन का सवाल भी जमीन के मुआवजे के साथ साथ, १५ गुना मुआवजे के अन्दर ही तय किया जायगा । ज्यादा उचित यह होता कि जहां तक खातेदारी हकूक का सवाल है, जमीन के ऊपर उसके लिये जो तरीका रखा गया है चाहे वह सही है या गलत है, न्यायोचित है या नहीं, कम है या ज्यादा है, यह एक अलग प्रश्न है। पर वह तरीका अलग रहता और जहां तक कूओं का सवाल है उसको अलग तौर पर मुआवजे के सिलसिले में तय किया जाता तो यह ज्यादा अच्छा होता । जमीन के सवाल में कूओं के मुआवजे को तय कर लिया है और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा १५ गुना तय किया है, यह उचित नहीं है ।

इससे पहले नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन भी रखा था, इन क्लॉज़ेज़ के सम्बन्ध में और उन्होंने १८, २० गुना रेंट का कम्पेन्सेशन रखा था और निवेदन किया था कि वह उपयुक्त है । सदन ने वाद-विवाद किया था और इसके बाद करीबन करीबन सभी राजी हो गये थे । १५, १८, २० गुना ज्यादा हो सकता है, पर एक बात साफ तय थी कि जमीन पर खातेदारी हकूक के लिये तय कर के कूओं के एवजाने के लिये भी तै करें। इसलिये यहां पर जो दोनों चीजों को शामिल कर दिया गया है, यह मेरे खयाल से न्यायोचित नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि यह बहुत ही ज्यादा है, या बहुत ही कम है, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि यह कम है । इस पर विचार किया जायगा तो बहतर होगा !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज में कूओं को अलग न करके जमीन के साथ ही इसका कम्पेन्सेशन वर्क आउट करने का रखा है । इसका मूल कारण यह है कि जो बात मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में कहा उस पर भी पूरा खयाल किया गया है। परन्तु राजस्थान में सिवाय कुछ हिस्सों के कूओं और जमीन को अलग तौर से नहीं समझा जाता । इनको अलग अलग वर्क आउट करने का मतलब यह होगा कि कोम्प्लीकेशन्स क्रियेट हो जायेंगे । १।६ हिस्सा प्रोड्यूस होगी वह इर्रिगेटेड लैंड की है, इसको केल्कुलेट करते हैं, तो बैरानी लैंड का रेंट प्रोड्यूस १।१० लेने से इसका हिस्सा कम हो जाता है । इस हिसाब से मल्टीपल १२ टाइम्स होता है । इर्रिगेटेड लैंड का १।६ हिस्सा और बैरानी लैंड का १।१० हिस्सा । इन दोनों को केल्कुलेट कर के देखा जाय तो यही ठीक बैठता है ।

अब हम इसके कम्पेन्सेशन की ओर देखें तो बेरानी जमीन से इसका १० गुना या १५ गुना कम्पेन्सेशन ज्यादा हो जाता है और इस प्रकार उचित मुआवजा की बात आ सकती है । कूओं को इससे अलग करने से कई कठिनाई पैदा हो सकती है । कूओं के अलग होने का सिवाय शेखावाटी के कुछ इलाके को छोड़ कर कहीं नहीं है । इसलिए हम कूओं को जमीन के साथ मान कर चलते हैं । कूओं का कोई अलग मालिक हो सकता है मगर कूओं और जमीन का एक ही मालिक ज्यादातर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

होता है सिवाय कुछ इलाकों को छोड़ कर जैसाकि मैंने अभी आपको बताया। मगर जहां पर भी इस प्रकार की परिस्थिति है वहां पर नाल भट के नाम पर चल रहा है, और उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए इस क्लॉज़ को इन सारी बातों को सामने रखते हुए तय करना है। मैं समझता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—क्लॉज़ १६ डी. के बाबत श्री चांदमल मेहता, श्री नाथुराम मिर्धा, और श्री गोपीलालजी के एमेंडमेंट्स हैं। प्रश्न यह है कि ये संशोधन स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

ये तीनों एमेंडमेंट गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सबस्टीट्यूटेड क्लॉज़ १६ डी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

सबस्टीट्यूटेड क्लॉज़ १६ डी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 16 E may be taken as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now clause 16 E E may be taken as moved.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, परेशानी सबसे बड़ी यह है कि ये एमेंडमेंट पहले मिलने चाहिये थे, लेकिन ये आज सदन के बाद ही मिले हैं। एमेंडमेंट ७, ८ पेज के हैं। सदन के

[श्री जवानसिंह]

सदस्यों को प्रश्नोत्तर-काल में बैठ कर इन ७, ८ पेज के एमेंडमेंट्स को देखलें और उन पर सदन में बहस करें, तो मैं समझता हूं कि यह एक्सपेक्टेशन (expectation) जरूरत से ज्यादा होगी। इसलिए माननीय मंत्री को इसमें सुविधा हो सकती है क्लॉज़ेज़ को पास कराने में। लेकिन मैं दो शब्द इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। एमेंडमेंट अभी तक आ रहे हैं, इससे यह बात जरूर ध्यान में रहेगी कि किस सही तरीके से हम कानून को पास कर रहे हैं। इसलिए इसी सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि थर्ड रीडिंग हो उसके पहले १०, १२ दिन का समय आवश्यक रूप से दिया जावे और ५, ७ दिन पहले थर्ड रीडिंग के पूरी कोपी टीनेन्सी बिल की जो एमेंडमेंट पास किये हैं उसकी कोपी दी जावे ताकी थर्ड रीडिंग में बहस करने में सहायता मिले, और जो गलतियें इसमें रह गई हैं वे निकल जावें।

जहां तक इस धारा का प्रश्न है, कम्पेन्सेशन देने के बारे में, नालभट के सिलसिले में लगाने का, वह एक विशेष तरीका और रिवाज है; कुछ इलाकों में और खास तौर से शेखावाटी, झुंझुनू और सीकर में और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन रख दिया गया है। मेरा यह खयाल है कि जहां हमने जमीन पर खातेदारी हकूक देने का मुआवजा देते हैं, उन कूओं के मुआवजे को जमीन के मुआवजे के साथ जोड़ कर एक साथ तय करते हैं कि नालभट कितना देना होगा। इस स्थिति में वह नालभट लैंड होल्डर को नहीं बल्कि जिसको नालभट लेने का अधिकार है उसको देने का प्रश्न आता है और इसको तय करने जा रहे हैं। इसमें हमने निश्चित परिधियें तय कर दी हैं और इसमें हमने ५० प्रतिशत तक कम्पेन्सेशन का हिस्सा तय किया है। यह ५० प्रतिशत की लिमिट हमने रखी है मुआवजे की वह पूरे कम्पेन्सेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा है, और इस चीज को अलग से तय करना चाहिये। (अश्रव्य) यह चीज जो आपने रखी है वह मेरे खयाल से सही नहीं है। जहां तक मालिकाना कूओं का प्रश्न है वह अलग से तय हो रहा है। इसमें नालभट का प्रश्न है उसमें ५० प्रतिशत कम्पेन्सेशन की बात है, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह ५० प्रतिशत बहुत ज्यादा है और हम उस कूओं के मालिकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं बल्कि ज्यादा हिस्सा नालभट वाले को दिला रहे हैं जो उचित नहीं है। हो सकता है कि नालभट वाला व्यक्ति भी खेती करता हो, लेकिन आपको ज्यादा आदमी ऐसे मिलेंगे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है या बहुत कम रहा है। जिन्होंने पैसा लगा कर नालभट का काम कर लिया है जिसकी वजह से जमीन से उनका कोई ताल्लुक रहता नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने उसके लिये केवल पैसा डाल दिया था, इसलिये उनको मुआवजा मिलने का हक मिल जावे और वह भी ५० प्रतिशत कम्पेन्सेशन। यह हमको कूओं के मालिकों को दिलाना है और कूए के मालिक काश्तकारों से वसूल करेंगे। नालभट के बारे में मेरा खयाल है कि यह कम्पेन्सेशन जरूरत से ज्यादा है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—चेयरमेन महोदय, यह जो संशोधन है उसमें साधारण आदमी के लिये इस पर अपने विचार प्रकट करना कोई आसान बात नहीं है। इस पर माननीय मंत्री महोदय

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

तीसरी रीडिंग में मौका देंगे उस वक्त विचार किया जावेगा । मगर जिस एक ध्येय को सामने रख कर यह प्रोविजन्स किये जा रहे हैं, या एमेन्डमेंट लाये जारहे हैं, वह यह कि उनके साथ बहुमत है, इसलिये इन पर बहुत कुछ कहने का भी कोई असर नही पड़ेगा । हमें बहुत कुछ कहना है, मगर इसमें फिजूल ही सदन का समय लगाएंगे और इसमे कोई फायदा नहीं होगा । आप चाहें तो इसी वक्तपास कर सकते हैं । अमेन्डमेन्ट्स आज, अभी मिले हैं । इसमें आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं हैं, क्यों कि ऐन वक्त पर भी अमेन्डमेन्ट्स पेश हुए हैं और वे पास भी किये गये हैं । हमें माननीय राजस्व मंत्रीजी पर पूर्ण विश्वास है, और जो अमेन्डमेन्ट्स है उनको पास करने में एतराज नहीं है, क्योंकि बहुमत उनकी ओर है । अमेन्डमेन्ट्स भी आज लाये गये हैं, उनको देखने का अवकाश भी नहीं मिला है और उनको पास भी समझा जाय तो भी कोई एतराज नहीं । हमें थर्ड रीडिंग पर जो कुछ कहना है वह कहेंगे । किन्तु मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब थर्ड रीडिंग इस बिल का लिया जाय तो उससे कम से कम एक १ सप्ताह पहले इस बिल का जो असली रूप है, यानि जो सेकिंड रीडिंग का जो असली रूप है, वह हमारे पास भेजने की व्यवस्था कर दी जाय ताकि जो थर्ड रीडिंग में हम कहने वाले हैं हम अपने विचार प्रकट कर सकें । वह जिस रूप में पास होगा, होगा ही क्योंकि सरकार के साथ बहुमत है, वे उसको पास कर सकते हैं । उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । अतः मैं यही निवेदन करूंगा कि इन अमेन्डमेन्ट्स पर न तो कुछ कहने की आवश्यकता है, और यदि कोई आवश्यकता है भी तो उसका कोई फल नहीं होने वाला है । हमारा निवेदन है कि वे यह व्यवस्था जरूर कर दें कि थर्ड रीडिंग के पहले कम से कम मुमकिन हो सके तो इस बिल का जो सेकिंड रीडिंग के निकलने पर जो रूप होगा वह हमारे पास पहुंचा दिया जाय तो हम बहुत आभारी होंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) —मैं समझता हूं कि मेरे जवाब देने का ही प्रश्न नहीं उठता क्योंकि थर्ड रीडिंग के पहले जो रूप है इस बिल का उसको सर्कुलेट करने या न करने का कार्य असेम्बली सेक्रेटेरियेट का है और अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करना, न करना केवल मेरे हाथ की बात भी नहीं है । मैं तो यही कह सकता हूं कि वाजिब तौर पर एतराज की इस तरह की बातें आती हैं तो मैं कम से कम उस पर एतराज नहीं करने वाला हूं ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ई ई, मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई ई विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई ई विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री सभापति]

Clause 16 E E E be taken as moved.

(विराम)

कोई सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं, अत: I put it to vote.

(विराम)

क्लॉज़ १६ ई ई ई मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई ई ई विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ ई ई ई विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 16 F. It may also be taken as moved.

आप, श्री एच. के. व्यास बोलना चाहते हैं इस पर ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Why you provoke him to speak ?

श्री सभापति—वे खड़े हुए थे इसलिए मैंने पूछा था। आपने (श्री हरिकृष्ण व्यास ने) उठने का प्रयास किया था।

(हंसी)

('थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे', इस प्रकार की आवाज)

इस पर भी आप कोई अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं। Then I put it to vote.

क्लॉज़ १६ एफ मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने मूव किया है।

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत १६ एफ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वार प्रस्तुत क्लॉज़ १६ एफ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 16 G be also taken as moved

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ में इस बात को तय किया गया है कि खुद काश्त कश्तकार को उस जमीन के ऊपर जिसके ऊपर खातेदारी के हक़ूक उसको मिलने वाले हैं तब से जो हक़ूक प्राप्त होंगे कम्पेन्सेशन आने से पहले या कम्पेन्शन पूरा होने के बाद में। जब एस. डी. ओ के पास में एप्लीकेशन की जायगी कि एक काश्तकार खातेदारी के हक़ूक प्राप्त कर सकता है कानून के तहत और उस अर्जी को जब मंजूर कर लिया जायगा उसी दिन से खातेदारी के हक़ूक उस काश्तकार को मिले हुए समझे जावेंगे, ऐसा इस क्लॉज़ में प्रोविजन किया गया है। मैंने प्रयत्न किया है और दूसरे प्रान्तों के काश्तकारी कानून की उन क्लॉज़ को देखने का कि जिनमें कि इस प्रकार के अधिकार देने के बाद कौनसा समय निश्चित किया गया है जब कि ये अधिकार दिये हुए माने समझे जावेंगे। तो जहां तक यू. पी टिनेन्सी एक्ट और जमीदारी एबोलिशन एक्ट जो कि उन यू. पी का है, उनमें मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि उन अधिकारों को उस वक्त माना गया है जब कि काश्तकार कम्पेन्सेशन को पूरा अदा कर देता है। जब यह चीज़ है कि काश्तकारों के हक में, काश्कारों के फायदे के लिये कौनसी चीज़ बहतर होगी, पहले हक देना या बाद में हक़ूक को प्राप्त करना? अगर कम्पेन्सेशन देने के पहले ही उसको अधिकार दे दिया जाता है तो एक तरहसे से यह निश्चित बात हो जाती है कि हर रूप में, हरसूरत में, काश्तकार को इस जमीन के ऊपर वह मुआवजा देना बहुत लाजमी होता है। अब अगर उसको बाद में, हक़ूक दिये जाते हैं खातेदारी के जब कि वह पूरा कम्पेन्सेशन अदा कर देता है तो काश्तकार को कम से कम इतनी गुन्जाइश मिल जाती है कि वह इस दर्मियान में, जब कि उसको हुक्म मिलता है कि तुम इस पर खातेदारी के हक़ूक प्राप्त कर सकते हो, उस समय से लेकर और जबतक पांच-छ इन्स्टालमेन्ट्स जो तय किये जाते हैं मुआवजा देने के लिए उन तमाम इन्स्टालमेन्ट्स को पे (pay) करने के बाद में उसको खातेदारी के हक़ूक मिले हैं उसके दर्मियान के समय में काश्तकार को एक मौका रहता है कि जब वह उस जमीन पर चाहे तो ये हक़ूक प्राप्त करे अन्यथा न करें। हो सकते हैं कुछ केसेज ऐसे भी हों कि जिनमें कुछ समय के बाद काश्तकार पसन्द न करे कि इस जमीन पर खातेदारी के हक़ूक प्राप्त करना है और उस सूरत में हमने निश्चित रूप से और लाजमी तौर पर काश्तकारों पर एक तरह से यह चीज़ लाद दी है कि उसको खातेदारी के हक़ूक पहले ही मिल जांय और उसके बाद में हर सूरत में

[श्री जवानसिंह]

उसको मुआवजा देना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को हम मान लेते है तो उसके (काश्तकार के) हाथ में कोई मौका नहीं रहता है कि बाद में वह इस चीज़ को मंजूर न करे और खातेदारी के हकूक प्राप्त न करे। तो यह केवल उसके इस बात पर निर्भर है कि वह चाहे तो ऐसा करे और न चाहे तो न करे। जैसी कि यह धारा रखी है तो यह लाजमी तौर पर खातेदारी के हकूक मिलेंगे और उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा और बगैर उसके उसका छुटकारा नहीं होगा। और वह भी एरीयर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करके खातेदारी के हकूक दिये जावेंगे। यह मैं केवल काश्तकारों के फायदे के लिए कह रहा हूं। एक मौके का सवाल है कि जहां तक और ज्यादा काश्तकार के हाथ में यह मौका रहे वह जब चाहे तब करे। लगाम उसके हाथ में हो। जब चाहे वह घोड़े को चलाये और जब चाहे उसको रोक ले। वह लगाम तो काश्तकार के हाथ में ही देना चाहिए था।

श्री सभापति—I am afraid there is no quorum in the House. We will have to close down for want of quorum.

श्री जवानसिंह—Perhaps it will help us to study the amendments.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Kindly ring the bell so that members may come and complete the quorum.

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Now we can start. The quorum is complete.

श्री सभापति—कोरम न होने की वजह से घंटी बजाई गई थी, आयन्दा माननीय सदस्यों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावेगा।

श्री जवानसिंह अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं किस वक्त से बिना कोरम की वजह से बोल रहा था यह मुझे पता नहीं और मुझे आपके कहने से एक दम बोलना बन्द कर देना पड़ा। अब मैं कहां से आरम्भ करूं यह मुझे पता नहीं।

श्री सभापति—Twenty seconds before I rang the bell.

श्री जवानसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—माननीय चेयरमेन, मैं यह मानता हूं कि जितना भी निवेदन मैंने कोरम न होते हुए किया, मुझे आगे कुछ निवेदन नहीं करना था। किन्तु

Page No.56

[श्री जवानसिंह]

जब मुझे पुनः आज्ञा दी गई कि मैं अपना भाषण शुरू करूं तो मैं यह पुनः निवेदन करूं कि हम काश्तकारों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा मौका रखें, उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स दें और उनको इस बात के लिए हमेशा उनके हित के लिए यह अधिकार उसके अपने पास रहें और अपने फायदे को निश्चित तौर से समझ लेवें। अगर वह उसका फायदा नहीं भी लेना चाहें तो भी उसके पास ऐसा मौका रहना चाहिए ताकि इस चीज़ को नामन्जूर करे, तभी यह मौका दिया जा सकता है। जब उसको खातेदारी के हकूक पूरा कम्पेन्सेशन अदा किये जाने के बाद ही दिये जाने चाहिये, ऐसा प्रोविज़न किया जावे तभी यह ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है काश्तकारों के लिए। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को रिड्राफ्ट किया जावे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री मोतीलाल चौधरी—चेयरमेन महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किसानों को खातेदारी के हक़ मिलने चाहिये इसके बारे में चर्चा करते हुए एक लम्बा भाषण दिया और किसानों के प्रति बहुत हमदर्दी जाहिर करने की चेष्टा की। यह हमदर्दी वास्तविक रूप से दूसरे ढंग की हमदर्दी है, जो एक्चुअल हमदर्दी नहीं, लेकिन किसानों को राइट नहीं मिले। उनको खातेदारी के राइट्स एकदम जल्दी न हों, यह उनका कहने का अर्थ था। माननीय चेयरमेन, प्रोविज़न जो रखा गया किसानों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। खातेदारी राइट के लिए जो कुछ प्रोविज़न है उससे भी ज्यादा मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि सब डिवीज़नल ऑफिसर के एप्लीकेशन करने के बाद नहीं किन्तु इस एक्ट के लागू होने के दिन से उनको खातेदारी के हक़ माने जाने चाहिये। उस दिन से, जिस दिन यह एक्ट लागू होता है खातेदारी राइट ऑटोमेटिकली हो गये; On the date of the Commencement of the Act. किसान लोग जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं इसके लिये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेशन का सिस्टम रखा गया है। एप्लीकेशन एस. डी. ओ. को देने के बाद में सब डिविज़नल ऑफिसर यह देखेगा कि इस जमीन पर उसका अधिकार है या नहीं; अगर है तो एप्लीकेशन सेंक्शन कर देगा और खातेदारी राइट मिल जायेंगे। इसके बाद कम्पेन्सेशन जितना होगा या तो वह जैसा देखेगा या तो पूरे रुपए एक साथ दिलवा देगा या ६ इन्स्टालमेंट में उसको रुपया अदा करने को कहेगा। इस तरह से खातेदारी राइट जो है कम्पेन्सेशन के मिलने के बाद मिलने चाहिए, यह जो कहा गया और उसके साथ सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बोलते हुए यह भी कहा कि किसान तो यह चाहता है कि कम्पेन्सेशन देने के बाद में राइट मिले इससे किसानों को फायदा होगा। माननीय सदस्य का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूं कि किसान कभी भी यह नहीं चाहेगा कि कम्पेन्सेशन देने के बाद उसको खातेदारी के राइट मिलें। किसान तो यह चाहता है कि जिस दिन वह एप्ली—केशन करें उसी दिन से उसको खातेदारी के हक मिल जाने चाहिये। लेकिन प्रोग्रेसिव कानून यह तभी हो सकता है जब कि उसको एप्लीकेशन के बाद ही राइट मिल जाय। रहा सवाल कम्पेन्सेशन का, मैं माननीय चेयरमेन, आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि किसान का फायदा किसमें है? एक सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को डबल रेन्ट पे करना

[श्री मोतीलाल चौधरी]

पड़ता है। सब टिनेन्ट को इस एक्ट के मातहत, प्रेज़ेन्ट एक्ट के मातहत, जो रेन्ट होगा उसका दुगुना पे करना पड़ेगा लेन्ड लोर्ड को या खातेदार को। मान लीजिये किसी लेन्ड का रेन्ट १०० रुपया है तो खातेदार या सब टिनेन्ट को उसके लिए २०० रुपया पे करना पड़ेगा। इसलिये प्रोविज़न रखा गया है कि जिस दिन दरख्वास्त मन्जूर होगी उसी दिन से खातेदारी के हक मान लिये जायेंगे। उससे क्या होगा कि डबल रेन्ट पे नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन एप्लीकेशन मन्जूर हो जायगी उस दिन से खातेदार वह माना जायगा। उसी दिन से उसके खातेदारी के राइट एक्स मान लिए जायेंगे और उसी दिन से उसका एक हजार रूपया लेना रहेगा। वह उसको छः इन्स्टालमेंट में पे करना पड़ेगा।

माननीय चेयरमेन, यह एक साधारण सी बात थी और इसी में किसानों का फायदा है, एक हजार की जगह दो हजार रुपये देने में किसान को कोई फायदा नहीं, जागीरदार को या लेन्ड लोर्ड को जरूर इससे फायदा हो सकता है। कम्पेन्सेशन देने के बाद यदि खातेदारी के हक दे दिये जाय तो फिर यह काश्तकार के लिये संभव नहीं हो सकेगा कि वह खातेदारी के हक हासिल कर सके।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मैंने तो यह निवेदन किया था उस समय जब कि कम्पेन्सेशन दिया जायगा उसको खातेदारी के राइट देने पड़ेंगे। यह मैंने नहीं कहा कि दर्मियानी समय में उसको राइट दिये जावें। सवाल सिर्फ इतना था कि कम्पेनसेशन के बाद हक दिये जावें।

श्री मोतीलाल चौधरी—बाद में हक देने से उसको डबल रेन्ट देना पड़ेगा। सब टिनेन्ट का जो रेन्ट है वह जागीरदार या खुदकाश्त होल्डर सब टिनेन्ट से डबल रेन्ट वसूल करेगा। डबल रेन्ट देगा तब ही उसको खातेदारी के हक प्राप्त हो सकेंगे। जब तक नहीं देगा तब तक एक्स नहीं होंगे, वह सब टिनेन्ट ही रहेगा till his application not sanctioned' वह सब-टिनेन्ट ही रहेगा और जब तक वह सब टिनेन्ट रहेगा तो उसको डबल रेन्ट पे करना पडेगा, जैसा कि इसमें साफ दिया हुआ है। जिस दिन एप्लीकेशन मन्जूर होगी उस दिन से उसको खातेदार मान लिया जायगा और कम्पेन्सेशन को वह छः इन्स्टालमेन्ट में देगा। अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो वह एक मुश्त मे भी उसको दे सकता है। एप्लीकेशन के सेंक्शन के बाद में उसको कम्पेन्सेशन पे करना पड़ेगा, जहां मौजूद हालत में २०० रुपया होते हैं वहां उसको १०० रुपया ही देने पड़ेंगे, आधा रेन्ट देना पडेगा। किसान चाहता है कि लेन्ड लोर्ड को उसके रुपये मिलने में किसी प्रकार की डिफीकल्टी न हो। इसलिये उसको पेमेन्ट करने का भार गवर्नमेन्ट ने अपने ऊपर लिया है गवर्नमेन्ट रुपये कि रिएलाइज़ करेगी इन अर्जेन्सी आफ रेन्ट और वह लेन्ड लोर्ड को दिया जायगा। पेमेन्ट के सिलसिले में कोई डिफीकल्टी नहीं होगी। यह प्रोवीजन रहता तो ज्यादा ठीक रहता कि जिस दिन से यह एक्ट लागू होता है उसी दिन से उस जमीन पर, जिस पर कि वह काश्त कर रहा है, उसके खातेदारी के हक मान लिये जाने चाहिये थे।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

कम्पेन्सेशन क्या होना चाहिये, इसके लिये एप्लीकेशन लेन्ड लोर्ड करेगा। लेकिन लेन्ड लोर्ड को सुविधा हो और सबटिनेन्ट को सुविधा हो, इन दोनों दृष्टिकोणों से, गवर्नमेन्ट को सुविधा हो, इन तीनों दृष्टिकोणों को मद्देनजर रखते हुए यह प्रोवीजन रखा गया है और यह प्रोवीजन साफ है और किसानों के फायदे में है। तो मैं समझता हूँ कि वह माननीय सदस्य जिन्होंने यह आपत्ति उठाई है उस आपत्ति को समझ लेंगे कि गलत है और अपनी आपत्ति को उठा लेगें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, जो बहस अभी चल रही है उसे तो मैं बेमतलब की बहस मानता हूं। किसी से हरजाना लेना शुरू करो और हकूक पूरा हरजाने के बाद में देंगे, यह दलील कोई मतलब नहीं रखती है, न कानूनी कोई अर्थ है और न व्यवहारिक तौर पर इसको विचारार्थ लिया जाना चाहिए और जो डीड़वाने से आये हुए या नागौर डिस्ट्रिक्ट से या और कहीं से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो बातें इस सिलसिले में कहीं जो बिल्कुल ठीक हैं। खैर, किसान से हरजाना जब मांगते हैं तो फिर उस दिन से राइट उसका शुरू होगया, इस बात में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं, माननीय चेयरमेन, सब क्लॉज़ (३) में एक शब्द की ओर इशारा करते हुए कुछ कहना चाहता हूं। सब-क्लॉज़ (३) में यह लिखा है कि :

"(a) The total amount of compensation payable in accordance with section 16 EEE shall however be a charge upon the holding and its produce next after the charges for rent and revenue in respect thereof." जब हमने इस उसूल को मान लिया कि जिस दिन से पेमेंट शुरु हुआ कम्पेन्सेशन का, जिस दिन से एस० डी० ओ० ने आर्डर किया उस दिन से उसका राइट खातेदार के राइट के रूप में पूर्णत: हो गया तो फिर लायेबिलिटी ऑफ रेन्ट कहां से हो? "Charge on the produce or the holding of the land" यह रिडन्डेन्ट है। यह तो कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद में रेन्ट की कोई लायबिलिटी रहेगी, रेवेन्यू की रहेगी यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन वह खातेदारी है उसका ताल्लुक सीधा स्टेट से होगा और चूंकि उसका ताल्लुक स्टेट से होगा इस वजह से उसके ऊपर रेन्ट का कोई चार्ज नहीं हो सकता। वह अलबत्ता और किसी को सबटिनेन्ट के तौर पर दे। रेन्ट पर तो क्लेम हो सकता है in respect of rent लेकिन वह फर्स्ट चार्ज नहीं गिना जा सकता। Because that is leasing out or subletting, जो उसमें शुमार नहीं होता है। कम्पेन्सेशन के सिलसिले में 'रेन्ट' शब्द का उपयोग किया गया है वह समझ में नहीं आता। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी के हकूक मिल जायेंगे। रेन्ट भी देना पड़ेगा, अगर यह मतलब नहीं है तो 'रेन्ट' शब्द हटा दिया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—What would happen in Jagir area?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जागीर एरिया में मुमकिन है गुन्जाइश हो, खातेदार राइट की लायेबिलिटी की। As soon as he starts getting Khatedari rights, the liability or rent ceases from that date. He must start paying revenue.

श्री मोतीलाल चौधरी—The Khatedars in Jagir area too pay rent, not land revenue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is a misnomer.

Now after this Jagir Resumption Act, where is the question of Khatedar paying rent ? There is no question. He has to pay land revenue.

श्री मोतीलाल चौधरी—But the Act will come into force before resumption.

यह कानून तो रिज्मशन होने से पहले लागू हो जायगा। लैन्ड लॉर्ड के जो टिनेन्ट्स होंगे वह रेन्ट ही देंगे लैंड लॉर्ड को रेवेन्यू नहीं देंगे। Revenue is an amount which is paid direct to the State.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is true. दरअसल मेरी शिकायत तो इसी बात पर है। यह बहुत ही एमेमोलस पोजीशन है। आपने इसी टेनेन्सी बिल में यह सिचुएशन कर रखी है कि the amounts may vary from one and a half times to four times और ऐसी स्थिति में एक ऐसा जो सब टिनेन्ट है जिसका नाम हमने जादू के डंडे को घुमाकर टेनेन्ट ऑफ खुदकाश्त बना दिया है, होना चाहिए था वह सब टिनेन्ट ही, लेकिन book transaction के बूते पर टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त बना दिया, उस टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को लैन्ड रेवेन्यू डेढ़ गुने से चार गुना देना पड़ेगा, वह एन्टाइटल्ड है, वह क्या खातेदार जो बना हुआ व्यक्ति है वह एन्टाइटल्ड है कि अब जिस दिन से क्लॉज १६ ई आदि एप्लाई होगी और एस. डी. ओ. ने ऑर्डर पास किया, उस दिन से कौन सा एमाउन्ट देना पड़ेगा ? This is the question. जागीरदार को देना पड़ेगा तो रेन्ट कह दें और स्टेट को देना पड़ेगा तो रेवेन्यू कह दें। केवल शब्दों की लड़ाई होती तो कोई खास टंटा नहीं होता। लेकिन इस एक्ट को लागू करते हैं तो रेन्ट को डेढ़े से चार गुना तक इन्क्रीज करने का, उस लेवल में रखने का अधिकार आपको दे दिया है। वैसी हालत में यह टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है जिसका स्टेटस सब टिनेन्ट के बराबर है, जो इस क्लॉज के मातहत एप्लाई करेगा वह कौन सा एमाउन्ट देगा लैन्ड रेवेन्यू का जो डिटरमिन्ड एमाउन्ट है वह देगा या रेन्टका-जो डिटरमिन्ड एमाउन्ट है वह देगा ? यह प्रश्न है। इसलिए मेरा खयाल है कि इसको ऐसे ही डिसमिस नहीं कर देना चाहिए। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। मेरा खयाल है कि मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई होगी। उसको मान लेने की जरूरत हो जायगी। Similar class of land है। कम्पेन्सेशन अलावा रेवेन्यू के ५८ रु० और दूसरा बोझ १.११२ से ४ टाइम्स के मातहत वह दे रहा है रेन्ट के रूप में और कुछ रकम। अब उससे कह दें तू रेन्ट दे दे रेवेन्यू दे दे। इस क्लॉज में रेन्ट क्या रहे ? वह किसको दे, वह अलग बात है। स्टेट गवर्नमेंट ले, यह आपस के लेन-देन का किस्सा है बिट्वीन स्टेट होल्डर एन्ड the State-Government, वो आप तै करें। स्टेट गवर्नमेंट ले जिस दिन से खातेदारी राइट्स एक्वायर हुए हैं, फ्राम देट डे वह लैन्ड रेवेन्यू के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेवल पर ही पेमेन्ट करने के बारे में कहे। इसलिए जो रेन्ट फर्स्ट चार्ज बन सकता है वह नहीं बनना चाहिए। सूटेबल मोडीफिकेशन इसके अन्दर कर देना चाहिए।

एक कठिनाई जरूर है। ओरीजनल ड्राफ्ट आया है उसमें उसकी भाषा को देखते हुए संशोधन प्रस्तुत किये। यह एक नया ड्राफ्ट आया है वह संशोधन वह कहां फिट इन करेंगे। वह उसके अन्दर फिट नहीं हो सकते हैं तो आइडियाज़ के रूप में संशोधन मूव किये जा सकते हैं। इस डिफिकल्टी के बारे में कुछ हल आप बताएं, वह ओरीजनल क्लॉज़ पर संशोधन मूव किये गये थे वह भाषा यहां फिट नहीं होती। यह नया आया है तो इसके बारे में सूचना देंगे तो उस मुताबिक मैं अपनी राय रखने के बारे में कहूँगा।

श्री सभापति—जो कुछ कहना है पहले ही कह दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारी क्लॉज़ पर कहना है, general right of reply.

श्री सभापति—सारी क्लॉज़ पर कहना है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां, सारी क्लॉज़ को वोटिंग पर रखें तो ऐसा मौका आने पर कहता, लेकिन मेरे एमेंडमेंट का क्या होगा ?

श्री सभापति—आपके एमेन्डमेंट नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह ओरीज़िनल क्लॉज़ पर है। वह मूव किये गये हैं। यह रिड्राफ्टेड होकर आया है। This is also an amendment for substitution of that clause by this.

इसका स्टेटस कोई स्पेशल एमेंडमेंट का थोड़े ही है। यह भी एक एमेंडमेंट है और मेरे एमेंडमेंट और इस एमेंडमेंट का स्टेटस बराबर है, यह मैं मानता हूँ। इस मायने में यह थोड़ी सी पोज़ीशन क्लेरिफाई हो जानी चाहिए कि यह एमेंडमेंट मूव होने के बाद में फोर और अगेन्स्ट में राइट आफ रिप्लाई भी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सब्स्टीटयुटेड क्लाज़ इज़ आलमोस्ट ए बिल जैसा कि "Deemed to have been this;" ऐसा टेक्निकल इन्करेक्ट है। This is also an amendment moved by the Member-in-charge for substituting the Original Clause by this.

तो आपके एमेंडमेंट और मेरे एमेंडमेंट की पोज़ीशन एक है।

श्री सभापति—आप दूसरे सब्जेक्ट मेटर को इसमें शामिल कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एमेंडमेंट की स्थिति में गड़बड़ हो जाती है।

श्री सभापति—आप अपने एमेंडमेंट का नम्बर बतलाइये कि कौनसा एमेंडमेंट है, उसके बारे में डिसीज़न दे दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—He was not present on that date.

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, नहीं, इस प्रकार की कोई ओरिजिनल क्लॉज़ थी ही नहीं। ऐसे शब्द ही नहीं थे उसमें।

श्री सभापति—मुमकिन हो नहीं हैं, तो अब तो आपके सामने है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"फॉर रेन्ट" शब्द हैं वे डिलीट कर दिये जांय। Without prejudice to my amendment to the original clause. To the amendment this is the amendment.

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या अमेन्डमेन्ट है आपका ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—"फॉर रेन्ट" शब्द डिलीट कर दिये जांय।

श्री मोतीलाल—माननीय चेयरमैन...

श्री सभापति—No, I cannot allow. You have spoken once.

श्री मोतीलाल—इस अमेन्डमेन्ट पर ? I have spoken on the general amendment.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं इस क्लॉज़ में से जिन शब्दों को हटाने के बारे में इतना कहा गया कि "रेन्ट" शब्द हटा दिया जाय, लेकिन इसकी कतई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इस क्लॉज़ को पढ़ने से पता चलेगा कि : "upon the holding and its produce next after the charges for rent and revenue." इसमें रेन्ट और रेवेन्यु दोनों ही शब्द काम में लाये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि जहां रेवेन्यू है वहां जागीर रिज्यूम नहीं हुई है, वहां रेवेन्यू वसूल की जाती है और जहां किसानों को खातेदारी राइट्स एक्र्यू हो गये हैं वहां रेन्ट में किया जाता है। इस हालत में रेन्ट शब्द पर्टिकुलर पर्पज़ के लिये है वरना रेवेन्यू काम में नहीं लाते। लेकिन रेन्ट एंड रेवेन्यू काम में लाने का मतलब यह है कि जो जागीरदारों को पे करते हैं उसका भी समावेश करना आवश्यक है। यह क्लॉज़ बहुत ही स्पष्ट है और इसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिये।

Page No.62

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात यह कही गई कि खातेदारी राइट्स पहले नहीं देने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि जो बातें बाद में कहीं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि खातेदारी राइट्स एक्रयू होने के बाद मिल जायं। उसमें यह दिक्कत है कि राइट्स बाद में देना पड़ता है तो मल्टीपल हो जाता है। उसको अवोइड करनेड के लिए यह रखा गया है। बारानी जमीन में मल्टीपल तय किया है। ६ साल में रेन्ट देना पड़ता है उतना ही १ साल में खातेदार को रेन्ट मिल जाता है, इसलिए यह उचित नहीं प्रतीत होता है। इससे किसानों को और भी ज्यादा रिलीफ मिलता है।

श्री सभापति—क्लॉज़ १६ जी का, जैसा कि अमेंडमेंट मूव किया है उस पर मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ जी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ जी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now, Clause 16 H.

(विराम)

इस पर कोई सदस्य अपने विचार प्रकट करना नहीं चाहते हैं इसलिए इस पर मत लिये जाते हैं। अमेंडमेंट मिनिस्टर इन्चार्ज ने मूव किया है। प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ एच विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ एच विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६ एच. एच.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ एच एच विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ १६ एच एच विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब मैं वह पोइन्ट रेज़ करना चाहता हूँ। और दूसरा जो ओरिजिनल क्लॉज़ के सिलसिले में अमेंडमेंट्स थे........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उन पर वोट लिये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपको जवाब नहीं देना है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। उनके बारे में अलग अलग वोट लिये गये हैं। वह सभी खत्म हो गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसी भी केस में more than two times compensation नहीं देना चाहिये। इस पर आपको कुछ नहीं कहना है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह तो पहले ही निकल गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर मुझे बोलना है।

श्री सभापति—वह तो हो चुका, तो आप फिर क्यों तकलीफ कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर मुझे बोलना है।

श्री सभापति—अब कौनसा समय है आपके बोलने का !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Just before voting I want to oppose it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अलग २ हिस्सों पर सारी चीज पास हो चुकी अब जनरल डिस्कशन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारे क्लॉज़ को एज़ अमेंडमेंट पास करने का मोशन होगा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सब क्लाजेज़ भिन्न भिन्न रूप से पास हो गए ए, बी, सी, डी इत्यादि।

श्री जवानसिंह—एक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वह यह कि क्लॉज़ १६ के ऊपर ओरिजिनल बिल में जो क्लॉजेज़ हैं वे १६ ए, बी, सी, डी, हैं, इन ४ क्लॉजेज़ के बजाय ये जो तमाम आज पास किये गये वे माने जांय या नहीं, इनको अलावा माना जाय या अमेंडमेंट प्रस्तुत किये थे वे ओरिजिनल को रिप्लेस करने वाले हैं; यह साफ नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रश्न रखा है उससे मालूम होता है कि आप साफ नहीं समझे हैं। जो सब्स्टीट्यूटेड क्लॉजेज़ रखे गये हैं वे ही पास किये गये हैं और वे ही माने जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि अलग अलग नम्बर दे रहे हैं तो सब्स्टीट्यूशन की स्थिति कैसे पैदा होती है। जब अलग अलग सब क्लॉजेज़ पर वोट लिये हैं तो clause as a whole पास करने का सवाल पेश होता है या नहीं, सब्स्टीट्यूटेड कैसे गिना जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—सब पर अलग अलग वोट लिये गये और कुछ नये सब क्लॉज़ एड हुए इसलिये सब का रीनंबरिंग होगा।

श्री सभापति—क्लॉज़ १६ ए पहले पास हो चुका है और जितने सब क्लॉजेज़ आज पास हुए हैं सब्स्टीट्यूटेड हैं और एक दूसरे से उनका सम्बन्ध है, जिन पर अलग अलग मत ले लिए गये हैं, इसलिये as a whole पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"Clause 16 stand part of the Bill" हुआ नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रीड्राफ्ट होगा और नम्बर बदले जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन आज की स्थिति में...

श्री सभापति—आज की स्थिति साफ है, आप क्यों तकलीफ करते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार का निर्णय सदन में नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज १६ पर नहीं होगा, अलग अलग पार्ट्स का होगा?

श्री सभापति—मैंने निर्णय दे दिया है, आप तकलीफ नहीं फरमावें।

(विराम)

क्लॉज़ १३५ ए

Page No.65

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में यह चर्चा हुई थी कि जो रोंगफुल इजेक्टमेंट हैं उनके लिए कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक आल्टर्नेटिव ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया है जो यू० पी० के एक्ट पर बेस्ड है। उसमें यह तय किया गया है कि कम्पेन्सेशन दिया जाय।

श्री सभापति—क्लॉज़ १३५ ए. मूव्ड समझा जाय एज़ अमेंडेड।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस क्लॉज़ १३५ पर २ अमेंडमेंट्स मूव किये जा चुके हैं, एक धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया था और दूसरा मैंने मूव किया था, अब तीसरा अमेंडमेंट माननीय मन्त्री जी ने मूव किया है। इस स्थिति से शुरू करें।

श्री सभापति—१३५ ए. पर जो अपने विचार प्रकट करना चाहें, कर दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कर दिये हैं।

श्री सभापति—पहले आपके अमेंडमेंट मूव हो चुके हैं उन पर तो निर्णय ले लिया जायेगा। १३५ ए.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय रिप्लाई नहीं करना चाहते? उन्होंने अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह समझता था कि यह मैंने मूव किया है इसलिये मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता था।

यह अमेंडमेंट मूव किया गया है ट्रेसपासर के लिए; बहुत सी सजायें और दूसरी बातें रखी गई। जो इजेक्टमेंट करता है उसके लिए इसी तरह की सजाएं रखी गई हैं तो ट्रेसपासर के लिए भी उसी तरह की सजाएं मुकर्रर करनी चाहिए।

दूसरी स्टेट्स में क्या है, इसकी जांच करने के बाद जो इजेक्टमेंट के लिए सजाएं हैं वही यहां पर प्रोपोज़ल के रूप में रखी गई हैं कि इजेक्टमेंट के बारे में कोई भी सजा की गुंजायश है वही इसके लिये काफी होनी चाहिये। क्रिमिनल सजा देने के लिए या और सजा के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में यहां इस बिल में कोई बात नहीं है, अगर कोई चाहे तो उसके मुताबिक कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस लॉ के अन्दर तो यही प्रोविज़न दूसरी जगह है और यही यहां रखना उचित है। रेवेन्यु लॉ के अन्दर क्रिमिनल लॉ का प्रोविज़न रखा जाना उचित नहीं। इसलिए जो पहले के अमेंडमेंट हैं उनको मैं उचित नहीं समझता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एन्टिसिपेटरी इन्जेक्शन के बारे में भी अमेंडमेंट मूव हुआ है

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह इससे चैक हो जायगा।

श्री हरिष्कृण व्यास—मैं जवाब देना चाहता हूँ।

श्री सभापति—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, बहुत दिनों पेशन्स रखने के बाद आज वह मौका आया है कि ट्रेसपासर पर लाल आंख करने वाले माननीय मित्रों का और मौका पड़े तो कानून का सारा का सारा दंड उनके मत्थे थोपने वालों का अब क्यों ठंडा ठंडा सा वातावरण है। मुमकिन है इसका कारण कोई और जगह की गर्मी हो, मुमकिन है कि इस क्लॉज़ की कम परेशानी हो। पर जो जवाब दिया है माननीय मन्त्री ने उससे एक बात तो साफ मालूम हो जाती है कि ट्रेस्पासर के बारे में जितना गुस्सा उस दिन जाहिर किया गया था अब ट्रेसपास करने वाले भी स्थिति बेदखल करने वाले से कम ही मानी गई है। जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने १३५ के पार्ट (२) में पेश किया है उसके माफिक रीइन्स्टेट न हो सके तो जितने अर्से तक वह बेदखल रहेगा उस अर्से का कम्पेन्सेशन दिलाया जायगा। ट्रेसपासर का मतलब क्या है? जमीन पड़ी है और बगैर इजाजत के ओक्युपाई कर ले तो इसका कम्पेन्सेशन दिलाया जाय। कानून में व्यवस्था की गई है कि तूने बिना इजाजत के उसको ओक्युपाई कैसे कर लिया? बेदखल करने वाले को किस बात की सजा दी गई है कि दूसरा बेचारा अपनी जमीन से महरूम रहे, पर समाज-विरोधी कार्य करने वालों के लिये दंड क्या होना चाहिये, इसके लिये सब केल्कुलेशन करके ठीक सुझाव रखा था कि फाइन टेन टाइम्स ओफ दी रेंट (Fine ten times of the rent) होना चाहिये ४ गुना तो इस वजह से कि बगैर इजाजत के कैसे घुसा और ६ गुना इसलिये कि दूसरे आदमी को रोजी से जबर्दस्ती महरूम किया।

इतना ही नहीं एक बहुत ही माकूल संशोधन प्रस्तुत हुआ था कोने में बैठे हुए माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं, उनसे हुआ था। अभी अभी मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह बात इससे हो जायगी? इसमें कैसे हो जायगी? १०७ में केसेज़ होते हैं। पीटने का खतरा हैं; १०७ के बहुत से केसेज़ होते है। किसानों को जमीन का खतरा है तो इन्टीसिपेटरी इन्ज़क्शन ले लें, अमुक व्यक्ति को पाबन्द कर दें कि तुम्हारा इरादा पाक नहीं मालूम होता, बेदखलो के गड़बड़ घोटाले में मत फंसिये। यहां आपने लिखा है कि बेदखल हो जायगा, उसकी अर्जी मंजूर हो जाने के बाद उसको मुआवजा मिल जायगा। पर मुआवजा मिलेगा कैसे? be fore it is executed.

बीमार होने से पहले उसका इलाज करते हैं वह मेड़िशन नहीं बल्कि वह तो एक profalache है जो बीमारी के जंतुओं को मारता है। उसका कोई इलाज इसके अन्दर तो मुझे नजर नहीं आता इस लिये मेरी मान्यता है कि माननीय मन्त्री महोदयने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसका कि सीरियल नं० नहीं है, जिसमें प्रस्तावक महोदय का नाम भी नहीं है। हालां कि अमूमन ऐसे संशोधनों को नहीं लिया जाता। मालूम नहीं कि मन्त्री महोदय की स्थिति सदन में अलग गिनी जाती है कि नहीं जैसी कि सदस्यों की गिनी जाती है। इस संशोधन की ओर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं सिवा इसके कि अभी जो मूव किया गया था।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिये मैं सदन से फिर से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप बेदखली को रोकना चाहते हैं इस पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं। तो जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है और जो संशोधन मैंने पेश किया है इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करना चाहिये।

रही बात पीनल क्लॉज़ की, वह मन्त्री महोदय जरूरत से पहले सोच गये। जब मूव होता तभी जवाब देते तो ठीक होता।

मैं अब यह अर्ज करूंगा कि १३५ ए. मूव करने के बनिस्पत मैंने जो संशोधन रखा था उसे स्वीकार किया जावे और यदि उसमें कठिनाई हो तो बाकी के सदस्य इसके पक्ष में मत देकर इसे पास करावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमैन महोदय, पर्मानेन्ट इन्जक्शन के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके लिए सदन ठीक समझे तो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है उसको पढ़ कर सुना सकता हूं। उसमें सब बातों का समावेश हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो है १३५ ए, जो मूव हुआ है उसके बाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बाद ही उसको लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर इस पर पहले निर्णय हो जावेगा तो इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी आ जावेगी।

श्री जवानसिंह—किसी माननीय सदस्य को एकोमोडेट करने के लिए समय लिया जा रहा है क्या?

श्री सभापति—इस पर श्री गोपाल भार्गव का एमेंडमेंट है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब इस बारे में रीड्राफ्टिंग हो रहा है तो फिर यह गलत चीज़ होगी कि इस पर पहले वोट ले लिये जावें। इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पर्मानेन्ट इन्जक्शन के बारे में अभी एक अलग ड्राफ्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। उस पर विचार कर लिया जावे। १३५ ए, रखा है और इसके बाद स्थिति साफ हो जावेगी। इन्जक्शन इश्यू करने के बारे में अलग प्रोविज़न है।

श्री सभापति—१३५ ए है। १३५ बी ले लें जब तक आप उसको पुट अप करें। आप इसको स्थगित करना चाहते हैं...?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। १३५ ए. भार्गवजी ने मूव किया है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक एमेंडमेंड पर मत लेने में कठिनाई आवेगी इसलिये जब तक आप कोई आल्टरनेटिव ड्राफ्ट पुट अप नहीं करें तब तक...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेअरमेन महोदय, भार्गवजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको अगर इस तरह से रख दिया जावे तो ठीक होगा :

"Injunction against wrongful ejectment. (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The Court may, after making necessary enquiries, grant perpetual injunction in the following cases, namely:

(a) if there exists no standard for ascertaing the actual damage caused or likely to be caused by invasation;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion?

(d) where the injunction is necessary to prevent multiplicity of proceedings; "

श्री सभापति—१३५ ए पर श्री गोपाल भार्गवजी का अमेंडमेंट है इस पर इस तरह से....

श्री गोपाल भार्गव—मैंने जो अमेंडमेंट रखा था उसका मकसद इससे पूरा हो जाता है इसलिये मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अमेंडमेंट (२) को स्वीकार करता हूं और बाकी के दूसरे अमेंडमेंट हैं उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री सभापति—आपने जो प्रस्तुत किये हैं वे दोनों अलग अलग हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें दो शब्द और जोड़ दिये जावें : "threatened to be invaded directly or indirectly."

अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं ।

श्री सभापति—पहले १३५ ए को पास कर लेने दीजिये उसके बाद...

क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री भार्गवजी को अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा दी गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि १३५ ए के बाबत श्री एच. के व्यास का जो अमेंडमेंट है उसको स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

यह अमेंडमेंट गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि १३५ ए. के अमेंडमेंट जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल...

श्री जवानसिंह—मैं इस संबन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं इससे पहले कि इस पर वोट लिये जावें । इसके सब क्लॉज़ (२) में इन्क्वायरी का तरीका बताया गया वह प्रोसीज़र को किसी कानून में रखा गया है उसी के माफिक होगा । अब उसमें एक सूट को हीअर करने के लिये इन्क्वायरी का तरीका रहे....

(घंटी)

श्री सभापति—आपने पहले, जब यह प्रस्तुत हुआ था उस समय क्यों नहीं ध्यान दिलाया ।

श्री जवानसिंह—अब जो ड्राफ्ट सदन के सामने रखा है उस पर मैं अब बोल रहा हूं, इससे पहले बोलने की बात ही नहीं थी ।

Page No.70

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—You are talking about AA. ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य को गलत फहमी है। आप १३५ ए. पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री जवानसिंह—मैं १३५ ए,ए-पर ही अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

श्री सभापति—आप थोड़ा धैर्य रखिये। अभी वह भी आपके समाने आने वाला है।

प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट मिनिस्टर इन्चार्ज ने १३५ ए पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। इस प्रकार क्लॉज़ १३५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

135AA is taken as moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, जो मंशा धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य की १३५ ए के क्लॉज़ में संशोधन करने के लिये पेश की थी वह कुछ हद तक १३५ ए पूरी होती है, यह बात सही है। लेकिन उस पूरी क्लॉज़ में...

श्री सभापति—इसमें आपका भी कोई अमेंडमेंट है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं १३५ एए जो प्रस्तुत हुआ है उस पर बोल रहा हूं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियें हैं। सबसे पहले जो इसका सब क्लॉज़ (१) है उसके कुछ शब्दों की ओर मैं आपका ध्यान आर्पित करूं। माननीय चेयरमेन जिसमें यह कहा गया है कि :

"if his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder" तो यह रेस्ट्रिक्शन होगा कि एक्ट अन्डर १३५ एए तभी लिया जा सकेगा यदि invasion of the enjoyment of the whole or a part of his holding comes from the landholder. लैन्ड होल्डर्स खुद अपने शरीर को तकलीफ नहीं दें और हायर्ड एजेन्ट के जरिये काम करने की कोशिश करें और आमदनी वसूल करें, तो खेती में कोई डंडा लेकर नहीं जाते हैं। यह जो वर्डिंग्ज़ हैं उनमें इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि जिसका मतलब यह होगा कि यह सारा का सारा क्लॉज़ पास होने के बाद भी it will remain a piece of paper adorning the Statute Book. इसलिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पहले आवश्यकता इसमें यह है कि सब क्लॉज़ (१) में "by his landholder" शब्दों की एवज में "by anybody" यह लिख दिया जावे या "by the landholder directly or indirectly." तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जावे कि जिसमें रिलीफ मांगने वाला इन शब्दों की वजह से फंस जावे।

दूसरी बात सब क्लॉज़ २ के बारे में अर्ज करूंगा। उसमें यह लिखा है कि The Court may grant perpetual injunction in the following cases. यानि कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाये हैं। कब कब वह इन्जेक्शन ग्रान्ट कर सकती है ? कोई ऐसा स्टेन्डर्ड मुकर्रर न हो कि जिसके द्वारा नुकसान क्या होगा इसका पता लग सके या उसका नुकसान होता है तो उसको मुआवजा रुपयों के रूप में कीमत अदा नहीं की जा सके। तो यह अब किसी की समझ में आने काबिल चीज नहीं है कि किसी की जान जा नहीं रही है, कब्जा छुड़ाया जा रहा है। फसल इतनी है, पेड़ इतने हैं, इसको कम्प्यूट किया जा सकता है। ये तो रेस्ट्रिक्शन्स हैं। ये रेस्ट्रिक्शन इस बिना पर चल रहे हैं कि जैसा कि मान लीजिये कि इजेक्टमेंट करना कोई जुर्म नहीं है। इजेक्टमेंट करने के बाद में यदि इर्रिपरेबल लोस हो तो हो। तो यह एप्रोच बिल्कुल गलत है, ऐसा मानता हूँ। आपको इस प्रकार का पर्पीचुअल इन्जेक्शन 'इन दी फोलोइन्ग केसेज़ ए. बी. सी. डी.' इस प्रकार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। "The Court may after making necessary enquiries grant perpetual injunction." यहां इसको खत्म कर देना चाहिये। यह मामला बिल्कुल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ देना चाहिये नहीं तो एप्लीकेन्ट परेशान होंगे, बेदखल होंगे, मरेंगे, मोहताज होंगे और उनकी मोहताजी का कोई नाप तोल नहीं लगाया जा सकता। साल डेढ़ साल के बाद रेवेन्यू कोर्ट से फैसला होता है, आज उसके पास खाने को नहीं है इसको नहीं गिना जायगा, उसको वह साबित करना पड़ेगा रुपया देकर। उसको दो साल की बेरोजगारी है, वह मोहताज है और एडीक्वेट मुआवजा नहीं दे सकता, किन्तु उसको तो यह साबित करना पड़ेगा कि खेत छूट गया है। तो इसमें एक एब्सर्डीटि निर्माण होती है। इसलिए यह सारा का सारा क्लॉज़ उसकी जान निकाल लेता है इसलिए मैं इन दो संशोधनों को मूव करता हूँ। माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय मन्त्रीजी उन पर गंभीरता से विचार करेंगे। पहला By land holder इस रूप में इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाय और दूसरा यह कि इन्जेक्शन देने के डिस्क्रिशन को करीब करीब ऐसी एब्सर्ड कन्डीशन्स में नहीं किया जाय। "The Court may, after makin necssary enquiryes grant a perpetuael injunction." यहीं खत्म कर दिया जाय।

ये दो मेरे सुझाव हैं। मुझे उम्मीद है कि इनको स्वीकार किया जायगा और तब यह मकसद का क्लॉज़ बन पायेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, रेवेन्यू कोर्ट का जुरिस्डिक्शन Act अभी लागू है और जयपुर, जोधपुर टिनेन्सी एक्ट्स भी अभी जारी है। उनके अन्तर्गत इन्जेक्शन का प्रोविज़न नहीं था इसलिए टिनेन्सीज़ की जितनी एप्लीकेशन्स या सूट्स रेवेन्यू कोर्ट को दे दि[illegible]

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तो इस सम्बन्ध में यह सोचा गया कि इन्जेक्शन का सूट अकेला रहता है और उसके लिए सिविल कोर्ट में आने के लिए काश्तकार को अधिक दिक्कतें होंगी। आज जिस तरह से सिविल कोर्ट्स की हालतें हैं और जिस तरह से खराब हालत हो रही है, काम ज्यादा है, केसेज़ की संख्या बहुत है, सिविल कोर्ट्स की संख्या कम हो गई है, दूर दूर से काश्तकारों को जाना पड़ेगा; यही सोचकर यहां यह प्रोविज़न रखा गया है और इस प्रकार का प्रोविज़न रखने से काश्तकारों को उससे लाभ भी होगा।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक समस्या सदन के सामने रखी है। पहली तो यह रखी है कि यदि लैन्ड होल्डर को कोई थ्रेटन करे और पज़ेशन को डिस्पज़ेस करना चाहे तो टिनेन्ट को अधिकार होगा कि सूट फाइल करे। अकेला लेन्ड होल्डर अगर थ्रेटन करे और सूट लाये तो यह बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फायदा होगा जो कि काश्तकार को देना चाहते है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि अगर वह "third person" होता है तो लागू नहीं होगा। ऐसी सूरत में लैण्ड होल्डर और टिनेन्ट का प्रश्न ही नहीं रहता है। लेकिन अगर एक टिनेन्ट और किसी दूसरे थर्ड पर्सन के बीच पज़ेशन और डिस्पज़ेशन का झगड़ा होता है और जैसा कि अक्सर हुआ करता है तो ऐसी सूरत में यह लागू नहीं होगा। इस प्रकार के कई केसेज़ होते हैं कि एक पार्टी और कोई दूसरी पार्टी के बीच झगड़े होते हैं, भाई भाई के आपस में झगड़े होते हैं, तो ऐसी सूरत में यह ७५ पर्सेन्ट लागू नहीं होगा। उन केसेज़ के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें जो ये शब्द हैं "by his landholder" के बजाय "by any person" जोड़ दिया जाय। "by any person" के अन्तर्गत लैण्ड होल्डर भी हो जाता है और थर्ड पर्सन भी आ जाता हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठायी है वह यह है कि सब क्लॉज़ २ के अन्दर चार केटेगरीज़ दी हुई हैं। उनका रेस्ट्रिक्टेड सेन्स में उपयोग हो सकेगा। माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि 'स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट' की धारा ५४ के अन्तर्गत ऐसा प्रोवीज़न दिया हुआ है और उसको यहां भी वैसा का वैसा ही रखा है। अब जैसी कन्डीशन सेक्शन ५४ की होता है उसी माफिक यहां भी होता है। यदि उसको इनवोक करके सूट लाया जाय तो ऐसी स्थिति में एक आध का ही उसमें समावेश होता हैं। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि लैण्ड होल्डर को थ्रेटन कर उसको डिस्पज़ेशन करने को हमेशा माना जाता है और वह ऐसा लोस होता है कि जो इर्रिपेयरेबल होता है। इसलिए ऐसी सूरत में माननीय सदस्य ने जो ऐतराज उठाया है कि ए. बी. सी. डी. के जो सब क्लॉजेज़ रखे गये हैं उससे किसान फायदा नहीं उठा सकेंगे, यह निराधार है। अभी जो लॉ है उसमे यह स्पष्ट है। उसमें ऐसा प्रोविज़न मौजूद है। उसमें ए. बी. सी. डी. दिये हुए हैं एक कन्डीशन है और वहां भी पर्पीचुअल इन्जेक्शन दिये जाते हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लैंड होल्डर के बजाय "by any person" कर दिया जाय और बाकी जो प्रोविज़न है वह वैसा का वैसा ही रखा जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १३५ ए जिस उद्देश्य से रखा गया है उसका उद्देश्य यह है कि किसान को, जागीरदार या दूसरे समाज के ऐसे तबके के आदमी, डरा कर,

[श्री मोतीलाल चौधरी]

धमकाकर या मारने की थ्रेटनिंग देकर खेत से किसान को महरूम करते हैं, तो समाज के विध्वंसकारी तत्वों के कार्यों को रोकने के लिये यह प्रोवीज़न रखा गया है। उद्देश्य यह है कि किसान को हर साल राजस्थान के अन्दर या बाहर जब कि राजस्थान में कानून को लागू कर रहे हैं बेदखली से रोका जाना जरूरी है। जब खेती का समय आता है तो जागीरदार या अन्य कोई व्यक्ति जो उसको खेती करने से रोकते हैं उनसे उसको बचाया जावे, जिनकी वजह से किसान अपने खेत के अन्दर कुछ पैदा नहीं कर सकता और इस तरह से अपनी जीविका का निर्वाह भी नहीं कर सकता। उन आदमियों को जो इस तरह से बेदखली करते हैं उनको इस प्रकार के कामों से रोकने वाला कोई प्रोवीज़न इसमें रखा जाना आवश्यक था, इसलिये यह प्रोवीज़न रखा गया है। वह यह है कि अगर ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करता है या धमकी देता है तो उस कार्य को रोकने के लिए कानून में धारा डाल दी जाय और पर्पीचुअल इन्जेक्शन के मातहत वह इस धारा में किया गया।

इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ १ में गलती थी, जिसका संशोधन करने के लिये जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, वह बिलकुल ठीक है। क्योंकि यह जो रखा गया है वह लैन्ड होल्डर के थ्रेटनिंग पर ही रखा है। साधारणतया क्या होता है कि लैन्ड होल्डर खुद तो खेत पर जाता नहीं है उसके नीचे काम करने वाले उनके नौकर या दरोगे आदि होते हैं वे इस तरह से किसान के साथ पेश आया करते हैं, इसलिये मेरा ख्याल है कि इस जगह यह रखा जाय कि 'by the land holder or any person' या केवल ऐसा रखा जाय कि any person कोई भी व्यक्ति किसान को जिसका कि जमीन पर कब्जा है उसको बेदखल करता है, उस पर यह क्लॉज़ लागू होनी चाहिये।

दूसरा सब सेक्शन बी में मेरे पास बैठे हुए माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर में स्पेशल रिलीफ एक्ट की मातहत जो सुविधा है उसके मातहत किसानों के पास जो कुछ भी हक है उस पर पर्पीचुअल इन्जेक्शन ले सकते हैं। इसलिये उन्होंने कहा कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिये। जैसा कि सब क्लॉज़ २ रखा गया है उसके अनुसार वास्तविक रूप से कुछ कन्डीशन लग जाती है। जहां जहां कन्डीशन इस प्रकार की होगी तब ही पर्पीचुअल इन्जेक्शन की सेंक्शन होगी। स्पेशल रिलीफ एक्ट के लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं, वह तो एक जनरल है एक्ट है उसमें किसी भी प्रकार की प्रोपर्टी हो, उनके साथ इस प्रकार की कन्डीशन्स रहनी चाहिये। लेकिन हम तो टिनेन्सी बिल पास कर रहे हैं। उसका सम्बंध केवल टिनेन्सी से है लैन्ड लोर्ड या उनके आधीन कोई भी नौकर या उसके आदमी उसको जमीन से बेदखल करते हैं तो उसको खेत जोतने में रुकावट डालते हैं, तो उसके साथ पर्पीचुअल इंजेक्शन लागू होगा। जहां तक स्पेशल रिलीफ एक्ट का प्रश्न है उसके अनुसार किसी भी पोपर्टी पर जिस पर कि उसका अधिकार होगा उस पर इस तरह, परपीचुअल इन्जेक्शन लागू होगा। यहां यह बिल जमीन से संबन्धित है

[श्री मोतीलाल चौधरी]

इसलिये यह साफ होना चाहिये कि थ्रेटनिंग हो तो साथ साथ उसकी इन्क्वायरी भी हो। यह सामान्य प्रोसीजर होना चाहिये और उसके साथ साथ पर्पीचुअल इन्जेक्शन लगा देना चाहिए ताकि कोई दखल न कर सके। खेती का जब समय होता है, बरसात होती है उस समय कोई किसान को थ्रेटनिंग न कर सके उसके काम में रुकावट न करे इस कारण रुकावट से बचाने के लिए आजकल लोग साधारणतया क्या करते हैं धारा १०७ की मातहत उस लैन्ड लार्ड के ऊपर दावा किया जाता है, मारने की धमकी देता है इस कारण। लेकिन इससे उनको पूरी मदद नहीं मिलती। इस क्लॉज़ का मकसद यह है कि इस क्लॉज़ के अनुसार कोई भी थ्रेटनिंग करे तो इसके साथ-साथ यह भी रख दिया जाय कि उस खेत के अन्दर कोई भी नहीं घुसने पावे। नहीं तो उसके बाद एन्ट्रेन्स असर्टेन करना पड़ेगा डेमरेज के लिये। डेमरेज की एक्चुअल कोस्ट कितनी देनी-लेनी होगी इसका सम्बन्ध नहीं। जमीन पर किसान का हक है उस जमीन पर कोई भी पैर न रखे। इस तरह से कानून में पूरा यह रख देते हैं तो जो कोई इजेक्ट करने आयगा या थ्रेटनिंग देगा उसको रोक देना चाहिये। यह हम रखकर किसानों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसानों के राइट को मजबूत कर रहे हैं। खाद्य स्थिति को पूर्णतया सुलझाने और देश में शान्ति कायम करने में इस प्रकार की गड़बड़ पैदा करने वाले जो तत्व है उनको खत्म कर दिया चाहिए, ताकि किसान अपने खेत में परमानेन्टली लग सकें और अपने दिमाग को खेती करने में लगा सकें। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए किसान को जो कोई बेदखल करने की चेष्टा करता है उसके लिए पर्पीचुअल इंजक्शन रखने का यही मकसद है। सब क्लॉज़ (२) में यह है :

"The Court may, after making such summary enquiries grant perpetual injunction."

That is sufficient.

पहली में एप्लीकेशन होगा, और सेकन्ड क्लॉज़ में इन्क्वायरी होगी, यही सफीशेन्ट है। नीचे स्पेशल रिलीफ एक्ट के जो प्रोवीज़न हैं वे अलग तरह के हैं, उनको यहां लागू नहीं करना चाहिए। वह एक्ट एक अलग तरह का ही एक्ट है वह जनरल सेन्स में चलता है और उसमें उसी तरह के राइट्स के लिए कन्डीशन्स होती हैं। अगर हम उसको जमीन के सम्बन्ध में नहीं लगावें तो जो उद्देश्य इस एक्ट का है वह पूरा नहीं होता है कि किसानों को खेती करने में कोई रुकावट नहीं रहे। सिर्फ एप्लीकेशन के बाद ही समरी इन्जेक्शन हो जाना चाहिए, पर्पीचुअल इन्जेक्शन लगाया जा सकता है, ताकि जागीरदार या कोई भी व्यक्ति उसको अपनी जमीन से बेदखल न कर सके, थ्रेटनिग न कर सके। स्पेशल रिलीफ एक्ट को हम देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें इतना ही है कि टीनेन्ट को खेत के अन्दर से नही निकालें। इसी उद्देश्य से यह क्लॉज़ रखा गया है। एप्लीकेशन

इ उसके खातेदारी के हक मंजूर कर लें।

Page No.75

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी जो प्रोपोज़ल मैंने रक्खा है सदन के सन्मुख वह काफी रिलीफ लोगों को देने के लिए रक्खा गया है। अभी इन चीजों के लिए सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ता है इसके बजाय रेवेन्यू कोर्ट में इज़िली रिलीफ मिल जावे इस दृष्टि से इसको यहां पर लिया गया है।

अब इसमें हम अगर प्रोसीजर को और दूसरी चीजों को भी बदल देंगे तो उचित नहीं होगा। जो प्रोसीजर वैल डिफाइन्ड है और दूसरी जगह चल रहा है इसमें रद्दोबदल करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

हां जो 'लैण्ड होल्डर' शब्द को लेकर भ्रम की गुंजाइश होती है उसके आगे मैं समझता हूँ कि यह कर लिया जावे तो पर्पज़ पूरा हो जावेगा :—

"By his landholder directly or indirectly...may bring a suit for the grant of perpetual injunction."

डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली कर देते हैं तो ठीक हो जाता है; अगर "Any person" रखने के बजाय "एनी परसन डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली" कर देते हैं तो इन शब्दों के साथ इनको कर लिया जावे तो जो यह खतरा है कि दूसरों से करवा लिया जावेगा तो यह भी ठीक हो जावेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—What about 'third person' ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"or any person" और जोड़ दिया जावे। बाकी जैसा का तैसा है।

श्री सभापति—किस तरह से जोड़ेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सोहनलालजी का जो अमेंडमेंट मूव किया हुआ है वह मैं स्वीकार कर लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या शब्द जोड़े हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—'any person'.

श्री सभापति—"Directly or indirectly by any person."

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसके मानी यह समझे जावें कि कुसूर किसी का भी हो किन्तु सजा जागीरदार को ही मिले। श्री मोतीलालजी को सब जगह जागीरदार ही जागीरदार दिखाई देते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—यह मतलब नहीं रहेगा। सारा पढ़ लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No, it would not mean that.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जागीरदार इनके दिमाग में इतना बैठा है कि उसे निकलने में बहुत अर्सा लगेगा। कुसूर कोई करे और सजा उसकी जागीरदार को दें।

श्री सभापति—यह इस तरह से पढ़ा जावेगा :

"Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by any person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह मैं समझता हूं कि 'any personby his land holder' तो रहे। इसमें और एनी परसन और बढ़ जावे तो अच्छा हो।

श्री मोतीलाल चौधरी—By his landholder or any other person...

श्री हरिकृष्ण व्यास—'Or any other person' में तो फिर जागीरदार भी तो परसन ही होते हैं। They are also persons.

श्री सभापति—"...invaded by his landholder or any other person..."

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ ए ए पर की गई तरमीम स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३५ ए ए पर की गई तरमीम स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ ए ए तरमीम शुदा विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ १३५ ए ए तरमीम शुदा विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३५ बी, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, I beg to move for the insertion of a new clause 135B. I take it as moved.

बाद में ऐसा ही संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ, माननीय चेयरमेन, कि जिसका ताल्लुक लॉ एण्ड आर्डर से है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर, हियर।

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—और लॉ एण्ड ऑर्डर प्रस्थापित करने के लिये एनार की और समाज के अन्दर जो अस्तव्यस्तता फैलाने वाले लोग हैं...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप पर ही यह लागू होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास [जारी]—यह तो संशोधन पर बोलने और विरोध करने से ही पता लग जावेगा।

तो यह एक ऐसा संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसके जरिये से समाज में फैली हुई या फैलने वाली अनार्की पर रोक लगेगी। और इसी के व्यक्तिगत अधिकारों के बारे सुबह से शाम तक सौ बार दुहाई देने वाले माननीय मित्रों के लिए यह खास सौगात भी एक होगी कि कम से कम एक तबके के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बारे में जबर्दस्त कानूनी पकड़ शिकंजा या जो कुछ भी आप कहें वैसी स्थिति पैदा होगी।

संशोधन यह है कि जिस प्रकार से शान्ति भंग करने के सिलसिले में बहुत सी धाराएं इधर की उधर कानूनों में दर्ज हैं जिनका होना आवश्यक नहीं पर हैं, या यों कहिये कि जिस प्रकार से किसी को कोई छेड़खानी करे, किसी को कोई न्यूसेन्स करे, गड़बड़ करे, उससे बहुत भयंकर जुर्म करने वाले किसी इन्सान की अपनी जमीन से महरूम करने वाले, बेदखल करने वले के खिलाफ उसने एक समाज के खिलाफ जुर्म किया जावे it is a crime against society ऐसा जुर्म इसमें शुमार किया जावे।

अभी तक जिस प्रकार की हमने धाराएं बनाई हैं उनके मुताबिक बेदखली को व्यक्तिगत कसूर जरूर गिना गया है। It is a crime against person और क्राइम भी नहीं गिना गया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसको तो एक सिविल मेटर बना दिया गया है, सिविल क्लेम का एक मेटर बना दिया गया है। हकीकत तो यह है कि यह तो एक क्रिमिनल एक्ट है। सिर्फ इस वजह से कि आज के समाज में अपनी आजीविका से किसी को दूर करना और बेकारी जिस पैमाने पर फैली हुई है, गरीबी मुंह बाये खड़ी है, वहां पर ऐसा कार्य करना और नई नई समस्याएं पैदा करना है, बल्कि इस वजह से भी कि यह ऐसे तबके को, इस समाज के ऐसे अंग को नुकसानदेह चीज़ है कि जो पहले से ही बहुत उत्पीड़ित है उसका केवल सिविल क्लेम बनना काफी नहीं, इसको क्राइम शुमार किया जाना चाहिये। बेदखली ओफेन्स गिना जावे और वह एक कोग्नीजेबल आफेन्स किया जावे।

दूसरी बात मैंने संशोधन द्वारा जो पेश की है वह यह है, कि इस जुर्म की सजा भी मुकर्रर हो। इसका बाकायदा मुकदमा चलाने को गुंजाइश हो, जेल की सजा मिलने की गुंजाइश हो, वह जेल भेजा जा सके और जेल की सजा काटकर आने की स्थिति पैदा हो सके। इस प्रकार का गम्भीर जुर्म इसको गिनना चाहिये।

और दूसरी बात इस संशोधन में मैंने वह प्रस्तुत की है, जो नई नहीं है, कि राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स आर्डीनेन्स, १९४९ के अन्दर, ४८ के अन्दर जो श्रीमान् राजप्रमुख, राजस्थान ने शाया किया था उन श्रीमान् राजप्रमुख द्वारा शाया किये हुए आर्डीनेन्स में भी यह पहले दर्ज था जो बाद में संशोधन करके हटा दिया गया, वह दर्ज यह था कि अगर कोई लैण्ड होल्डर किसी काश्तकार के खेती की जमीन पर पाया जावे तो it shall be presumed कि वह बेदखल करने के लिए वहां गया था " unless proved to the contrary - यह सेन्टेन्स जो मैंने आपको बोलकर सुनाया है यह आर. पी. टी. ओ. का रीजनल वर्सन था जो उसके अन्दर मौजूद है।

सारे हिन्दुस्तान के तरह तरह के इधर उधर के टिनेन्सी बिलों की तो यह विशेषताएं लिये हुए नहीं है पर ध्यान जरूर रक्खा है उस पर। तो मैं सूचना के लिए यह बता दूं माननीय मन्त्रीजी को कि ये दोनों चीजें जो मैंने प्रस्तुत की हैं वैसी चीज हिन्दुस्तान के अलग अलग इलाकों में जो कानून पास हुए हैं उनमें से एक भाग कहीं, तो दूसरा भाग कहीं मौजूद है। हैदराबाद में सन् ५३ के महीने में जो ऑर्डिनेन्स पास हुआ था बेदखली के सिलसिले में उस आर्डीनेन्स में इस प्रकार की एक धारा मौजूद है जहां कि 'it shall be Presunmed......'कि अगर कोई लैण्ड होल्डर आया है, किसी काश्तकार की जमीन में पाया गया है, तो वह वहां इस नीयत और इरादे से आया था कि बेदखल किया जावे उसे।

'unless provided to the contrary.'

Burden of proof shift हो जाता है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसे प्रोवीजन्स हैदराबाद के आर्डीनेन्स जो कि सन् १९५३ में पास हुआ था उसमें हैं, और इसी प्रकार अभी अभी कुछ महीनों पहले बंगाल में इस संबंध में जो बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका अब कानूनी रूप बन चुका है, उसमें भी इ'जेक्टमेंट को एक कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनाया गया है। तो यह जो संशोधन मैंने रखा है उसके बारे में यह कहना मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया के अन्दर और हलचल है तो राजस्थान के अन्दर और कैसे करें। दुनिया को छोड़कर राजस्थ नजदीक के या दूर के हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थिति है कि उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाये हैं। मैं उन कानूनों की ओर इशारा नहीं करता, माननीय चेयरमेन, कि जहां स्थिति आज से कई वर्षों पहले मुकर्रर हो चुकी थी। उनके सामने ऐसी समस्याएं नहीं थीं। वर्तमान समय में एक दो कानून ऐसे बने हैं उनकी ओर मेरा इशारा है।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उनकी खुद की पार्टी के सर्वेसर्वा, जिनके पास दौड़ दौड़कर वह रोज रोज जाते हैं, और अगर वह वहां नहीं होते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें आगे पेशी के रूप में पड़ती हैं, वह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री, पं० जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने पंजाब में बेदखली की स्थिति पैदा हुई उसके बारे में एक बयान दिया उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे कायदे बनाने चाहिए बेदखली के बारे में कि जिन कायदे के द्वारा बेदखली न सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या समझी जाय लेकिन सारे के सारे समाज की समस्या समझी जाय। बेदखली न सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ बल्कि सारे समाज के खिलाफ है। अब यदि उनकी खुद की पार्टी के जो आज तक प्रधान हैं, अब शायद उससे निजात लेलें वह दूसरी बात है, और आज तक के हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को उधर बैठने वाले माननीय मन्त्री महोदय सीरियसली नहीं लें तो यह अक्षम्य चीज़ गिनी जानी चाहिए।

मैं दूसरा मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा प्लानिंग कमीशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट शाया हुई है उसके बारे में, प्लानिंग कमीशन ने पिछले २,३ वर्षों में देश में जो तब्दीलियां हुई हैं रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट हाल ही में पिछले महीने में शाया की है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र देहाती क्षेत्र में अथवा और दूसरी जो जो योजनाएं बनी उनके बारे में कहां तक तरक्की हुई, नहीं हुई उनके बारे में जिक्र किया है। कृषि का जहां तक ताल्लुक है, देहाती क्षेत्र का जहां तक ताल्लुक है, प्लानिंग कमीशन ने खुद ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है देहात के अन्दर, तो वह समस्या बेदखली की है, और उन्होंने खुद इस बात को माना है कि मौजूदा कानून से बेदखली की समस्या हल करने में नाकाबिल साबित हुए हैं। क्या तात्पर्य था उन मौजूदा कानूनों के प्रति इशारे का? तात्पर्य यह था कि यदि बेदखली को केवल सिविल क्लेम बना दिया जाय, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में माली लेन देन का प्रश्न बना दिया जाय तो वह इस भयंकर रोग से, बीमारी से, कोई भी रियासत, कोई भी राज्य को निजात नहीं दिला सकते।

दूसरा प्रश्न यह उठता है, माननीय चेयरमेन, की आया इस प्रकार के जुर्म करार करने वाले सेक्शन्स इस टिनेन्सी बिल में रखें या नहीं रखें? मैं मानता हूं कि दलील की तौर पर कुछ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दलीलें दी जायगीं, और इस वजह से एन्टीसिपेट्री थोड़ा सा जवाब भी मैं दे दूं। हमने रखे हैं ऐसे क्लॉजेज़ ऑलरेडी। हमने इस कानून की अमुक २ धाराओं के खिलाफ कोई कार्यवाई करेगा तो यह किया जा सकेगा, वह किया जा सकेगा, ऐसी धाराएं उसके अन्दर रखी हैं। और अब तो इन्जेन्कशन की एक धारा नई उसके अन्दर जोड़ी गई है। अभी वह पास कर दी है संशोधन के साथ। तो जब इस प्रकार के इन्जेन्कशन लागू करने की धारा को आप मन्जूर करते हैं तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता कि दन्ड की धारा को भी इस कानून के अन्दर नहीं रखी जा सके। मेरे संशोधन में इन तीनों चीजों का जिक्र है। इस बात का जिक्र है कि बेदखली करने वाले व्यक्ति को सजा का भागीदार बनाना चाहिए, जुर्म के नाते समाज के विरोध में उसने जुर्म किया है। दूसरा यह कि वह आफेन्स काग्नीजेबल होना चाहिए, और तीसरा ट्रान्समिशन के बारे में।

अब यदि मेरे माननीय मित्रों को यह इच्छा है कि सब कानून के जरिये हो, मेरे माननीय मित्रों का यह दावा हो कि कानून के भंग करने वालों को सख्त सजा दी जायगी तो •••

(११-४६ पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

छोटे मोटे जुलूस पर जिनका गुस्सा उतरे बगैर नहीं रहता, मामूली किसी ने न्याय के आधार पर किसी दकियानूसी कानून का उल्लघंन किया तो उसके ऊपर लकड़ी की बौछार हुए बगैर नहीं रहती। गंगानगर में वसूली का गोलमाल होता रहे जिसके अन्दर किसी तरह चार साल की बकाया वसूली नहीं होती है तो उसके ऊपर गोली चलाने की नौबत आती है। वहां लॉ एन्ड आर्डर के बारे में सरकार सचेत रहती है। उसके लॉ एन्ड आर्डर का आज इम्तिहान है। क्या यह लॉ एन्ड अर्डर एक विशेष वर्ग के लिए है? क्या कानून का भंग करना जुर्म केवल उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, मोहताज हैं उन साधनों के जिन साधनों को आज समाज का एक विशेष वर्ग अपने हाथ में लिये हुए है।

(हियर, हियर)

श्री जवानसिंह—खाली कुर्सियां तारीफ कर रही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खाली कुर्सियां नहीं तारीफ करती हैं राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता का दिल तारीफ करता है। लेकिन मेरे माननीय मित्र यह नहीं सोचें कि यह इन्इक्वेलिटी, यह वर्ग स्वरूप इस कानून का केवल उनके लिए ही लागू है। गंगानगर में अगर जे. पी. कानून की अवहेलना कर देता है तो उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है। वहां उनका लॉ एन्ड ऑर्डर नहीं चलता है। उन पर दफा १४४ और दफा ३३२ नहीं लागू होती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह धमकियां देता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह धमकियां देते हैं तो मिल पर कब्जा कर लें और ६ महीने की सजा देनी चाहिये उस जे. पी. श्रीवास्तव को कि उसने ८०० या ९०० मजदूरों को गैर कानूनी तौर से बेकार कर दिया है। तो आज उनका इम्तिहान है। आज इम्तिहान है उस लॉ एन्ड ऑर्डर का। उस वर्ग का इम्तिहान है जिसके हाथों में आज राज्यसत्ता है, शासन है, और उन लोगों का इम्तिहान है जो अपने आपको जनता के हितचिन्तक होने का तुर्रा अपने सिर पर लगाये घूमते हैं और दुनिया के अन्दर कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं, जिसके अन्दर बराबरी का दर्जा प्रदान करेंगे। देखें, आप इस बराबरी के दर्जे को इस कानून, न्याय और व्यवस्था को, इस लॉ एन्ड आर्डर के प्रति दिल के अन्दर जो रोज की झुकान है, एक विशेष वर्ग जो कि एक सत्तारूढ़ और शासन युक्त वर्ग रहा है, जो आज आप समान वर्ग नहीं है जिसको आप निःस्वार्थ कह सकें, उनके प्रतिनिधि के द्वारा किये गये जुर्म, उनके किसी प्रतिनिधि के द्वारा कानून की अवहेलना की गई है तो उसको सजा करने को तैयार हैं? अथवा वह सजा तो केवल उन गरीबों के लिए है जो रोटी के लिए मोहताज फिरते हैं और आप के लिए चलते फिरते हैं कि हमारी बात सुनो। यह आज होने वाला है क्योंकि उतावलेपन में मेरे मित्र ने कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा कि जो दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से कहेंगे तो बराबरी का दर्जा देना चाहिये यह आपभी महसूस करेंगे। कोई व्यक्ति दूसरों की मिलकियत पर कब्जा कर ले जबरदस्ती तो उसको आपकी पुलिस जेल में बन्द नहीं कर देगी? आप याद रखिये कि सम्पन्न लोगों को भी वही पुलिस उसी तरह बन्द करेगी जिस तरह आज गरीबों को करती है, ऐसा समय दूर नहीं है। यह उसूल का सवाल है। मैं आपके जरिये से सदन के उधर बैठने वाले सदस्यों से....

कुं० श्री जसवन्तसिंह—खाली बैंचे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)—खाली बैंचे हैं तो भी उनके दिल और दिमाग को अपील करना चाहता हूँ, जो बैठे हैं उनसे खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के हाथ में इसका फैसला है और यह फैसला आप करें, करना होगा आपको। यदि आप यह फैसला नहीं करेंगे, यदि आप समाज के कुछ तत्वों को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यदि आप ऐसा न्याय और ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू करके गरीब और मामूली हैसियत के लोगों को सताने की कोशिश करेंगे तो याद रखिये करोड़ों मामूली हैसियत के लोग आपको वह गति बनायेंगे...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माणकचौक की चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष—आप मुद्दे की बात कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इनको चेतावनी दे रहा हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, यह भाषण माणकचौक की चौपड़ पर ठीक रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह माणक चौक की नहीं बल्कि देहातों की सच्ची घटना है।

कु. श्री जसवन्तसिंह्—कम्युनिस्ट पार्टी का तरीका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्यों हिचकिचाहट होती है बराबरी का दर्जा देने में ? बराबरी का दर्जा मांग रहे हैं तो बराबरी का दर्जा देने के बदले कानूनी सिकंजे हैव एण्ड हैवनोट्स (have and have-nots) के प्रति लगा रहे हैं, तो निश्चित मानिये कि एक दिन ऐसा आयेगा जब वे लोग ऐसी रवैया अख्तियार करेंगे कि सारी परिस्थिति बदल जायगी और तब आप चिल्लायेंगे कि स्वतंत्रता चली गई, न्याय व्यवस्था चली गई। इसलिये अच्छा यह है कि आज ही बराबरी का कदम उठाने वाले और ऐसा दावा करने वाले जो लोग हैं उनका फैसला उधर बैठने वाले मित्र और मन्त्री जी करेंगे ऐसा कहता हुआ मैं अपना संशोधन पेश करूंगा।

श्री जवानसिंह्—इधर बैठने वालों के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इधर बैठने वालों की राय तो निश्चित है। जो दावा करते हैं उनका इम्तहान है; जो दावा नहीं करते हैं उनका क्या इम्तहान हो ?

श्री जवानसिंह्—माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बहुत ही ताज्जुब हुआ कि एक ऐसे तबके से आने वाले, एक ऐसे समाज के तल से आने वाले व्यक्ति ने कम-से-कम कानून व्यवस्था की तरफ आज ध्यान दिया। लेकिन उनकी नीयत कहां तक साफ रही है, वाकई इस कानून के अंग बन सकते हैं या केवल उनका नम्र विचार था जो शायद बहुत पहले ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह आपके हाथ में हैं इसको पास कर दें तो पता चलेगा कि मैं किधर वोट देता हूँ।

श्री जवानसिंह् (भाषण जारी रखते हुए)—यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि उनकी ईमानदारी कैसी थी ? सच्ची थी या नहीं। इस बात से पहले पुरानी जमीन में क्या हाथ आया है, क्या कार्यवाही होती है, केवल सूचना मात्र वे अपने संशोधन के जरिये रखते हैं। मैं दोनों बातों में काफी अन्तर पाता हूँ। मेरा ख्याल है कि पीछे वाली बात ज्यादा सही बैठेगी बनिस्पत पहले वाली बात के। वे वाकई पास करना चाहते हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि अब वह जमाना ही नहीं रहा जिसकी ओर उनको सोते-जागते डर बना रहता है कि ऐसा करेंगे हेव्ज और हेव नोट्स। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्या सदन में इस प्रकार का कानून पास करने के बाद समाज में ऐसी व्यवस्था रहेगी ? काश्तकारी व्यवस्था कैसी रहेगी इस बात को यदि देखना है तो उनको काश्तकारी कानून जो करीब-करीब पास कर चुके हैं उसको सामने रखकर अध्ययन किया होता तो पता चलता कि वह चीज रहेगी ही नहीं। जो चीज रहेगी ही नहीं उसके लिए शंकाएं पैदा करना, डराना, मेरे ख्याल से निराधार है। इसलिये माननीय सदस्य को शान्ति से सोचना

[श्री जवानसिंह]

चाहिये था कि अब समय नहीं है कि दूसरे आदमी को इजेक्ट करें। यह एक साधारण सा प्रश्न था। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति कहता है कि जमीन पर मेरा अधिकार है, दूसरा कहता है कि मेरा अधिकार है। एक को सब टिनेन्ट का अधिकार है और दूसरे को खातेदार टिनेन्ट का अधिकार है। जमीन पर काश्त करने के बारे में यदि किसी तरह की अनबन पैदा होती है तो उस मामले को उसी प्रकार से सुलझाना चाहिये जिस प्रकार से और सिविल राइट्स तय होते हैं, दावों के जरिये। मैं उनकी तब दाद देता जब कि वे इस बात को कोशिश करते कि एक आदमी को जिस प्रकार अपनी जायदाद पर हक हुआ करता है उसी तरह का हक काश्त की जमीन पर भी काश्तकार को दिलाने की कोशिश करते, तो मैं सोच सकता था कि आपने जमीन पर पूरा अधिकार दिलाया है। लेकिन आज सरकार तमाम जमीन पर पूरी तरह से मालिक है। जिस प्रकार एक दुकान किराये पर दी जाती है उसी प्रकार सरकार ने केवल किराये पर जमीन दी है। इसके अलावा खातेदारी हक के नाम पर या और किसी नाम पर जो हक दिया है इस कानून में कोई वास्तविक हक नहीं दिया है। यह केवल नाम को उलझन है। एक नाम को हटाकर दूसरा नाम रख दिया है। कोई वास्तविक हक नहीं मिला है खातेदार को और सब टिनेन्ट को। तो फिर यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि उसके लिए सजा मुकर्रर की जाय दो दो वर्ष की कैद और ४००० रुपया जुर्माना। यह बात समझ में नहीं आई। माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उनको पुरानी जमीन पर इस प्रकार की कोई घटना शायद घटी है इसलिए उसकी सूचना उन्होंने सदन के सामने संशोधन के रूप में रखी है। यह केवल उनकी भावना थी। लेकिन उनकी इस भावना को सदन में कहने के लिए खास तौर से भविष्यवाणी में कोई गुंजायश नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो संशोधन रखा है वह भावनाओं के लिहाज से उनके अपने दृष्टिकोण से काफी ऊंचा हो सकता है, लेकिन उसमें सत्यता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को उसी नम्रता से नामंजूर फरमावें कि जिस नम्रता से उन्होंने पेश किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। दलीलों और भावनाओं को सामने रखकर उन्होंने कोशिश की कि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके बराबर के दावे में कोई तथ्य नहीं है।

किसी के भी प्रभाव में आकर या किसी कारण से हम कोई क्लॉजेज़ नहीं रखना चाहते हैं, यह इसके पीछे मूल कारण नहीं है, बल्कि मूल कारण यह है कि इस प्रकार के क्लॉजेज़ को यहां रखना उचित नहीं होगा इसलिए दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा इसमें रखी जाय। इसमें क्रिमिनल केस को तरह और क्रिमिनल लॉ के अनुसार प्रोसीड करने के बारे में हम कोई पाबन्दी इस कानून में नहीं लगा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। लेकिन रेवेन्यू लॉ के अन्दर क्रिमिनल लॉ का प्रोविज़न नहीं रखा जा सकता

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बार बार यह सोच कर चलना कि जागीरदार ही ऐसा करते होंगे और जागीरदारों के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है, यह गलत है। आजकल ऐसे केसेज़ आते हैं कि एक व्यक्ति जो कि जागीरदार नहीं है, किसान को इजेक्ट कर देता है। क्रिमिनल वे में उसको यदि सजा दिलाना उचित समझते हैं तो उस वे (way) में उसे सजा दिलाइये, पर इस लॉ में इस तरह का प्रोविज़न करना ठीक नहीं समझा गया है। क्रिमिनल क्लॉज़ेज़ को रेवेन्यू लॉ में नहीं रखा जा सकता।

इस कानून में हमने यह भी पास किया है कि जब तक रीइन्स्टेट नहीं किया जाता तब तक के लिये उसको मुआवजा देना होगा। इस तरह की सब चीजों को इसमें लेने की कोशिश की गई है जिससे माननीय मित्र के शब्दों में अव्यवस्था न फैले, इसके लिए प्रयत्न किया गया है। हालांकि जिस तरह की सजा का प्रोविज़न वे करना चाहते हैं उस तरह का तो नहीं किया है। जैसे उन्होंने कहा कि ज़रा सा जलसा निकालने से ऐसी सजाएं दे दी जाती हैं इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अब विधान ने इतनी आजादी दे दी है कि न इतनी बातें यहां पहले थीं और न दूसरे देशों में आज मौजूद हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बंगाल में क्या किया गया है इसके बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बंगाल में, मुझे मालूम नहीं कि क्या है। मान लीजिये कि अगर वहां है तो उस आवश्यक नहीं कि यहां भी लिया जाना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिये जाने की वजह से मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन नये क्लॉज़ १३५ बी. में पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.85

[श्री उपाध्यक्ष]

अब फर्स्ट शिड्यूल । इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि फर्स्ट शिड्यूल विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

The first Schedule is added to the bill,

(विराम)

सेकिन्ड शिड्यूल । इस पर भी कोई संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सेकिन्ड शिड्यूल विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

सेकिन्ड शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

थर्ड शिड्यूल पर श्री तनसिंहजी का अमेंडमेंट है । श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, थर्ड शिड्यूल के बारे में अगर सदन को एतराज नहीं हो तो इस आधार पर स्वीकार कर लिया जावे कि जिस तरह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमने अमेंडमेंट्स किये हैं, उन्हीं अमेंडमेंट्स के साथ (आधार पर) इस शिड्यूल को भी स्वीकार कर लिया जाय ।

(दोनों पक्षों की ओर से आवाज "yes, yes")

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स पेश कर के फिर इस शिड्यूल को पास किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि थर्ड शिड्यूल, क्लॉज़ेज़ में जिस प्रकार संशोधन हुए हैं उसी रूप से, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

तीसरा शिड्यूल आवश्यक संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

फोर्थ शिड्यूल । इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि फोर्थ शिड्यूल विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

फोर्थ शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १ (३) में श्री जवानसिंह का संशोधन है ।

श्री जवानसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक छोटा सा संशोधन है, इस कानून के लागू किये जाने के बारे में । इसमें यह है कि राजस्थान सरकार तारीख मुकर्रर करेगी उसी तारीख से मान लिया जाना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाहिये कि यह उसी दिन से लागू होगा। इसकी बजाय मैंने यह संशोधन रखा है कि जिस दिन गजट में आया हो उसी दिन से लागू किया जाय। मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं भी आपके इस संशोधन को बगैर कोई दलील दिये अस्वीकार करता हूं। यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट चाहे उस दिन यह कानून लागू हो क्योंकि कुछ रूल्स इसमें ऐसे हैं कि जिनको पब्लिश किये बिना इस एक्ट को लागू करना उचित नहीं होगा और सरकार के सामने कई कठिनाइयां पैदा हो जावेंगे। इसलिए जिस डेट को सरकार इसको अमल में लाना चाहे उस डेट से अमल में लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Do you want to withdraw ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आखिरी संशोधन का मौका है इसलिये मुमकिन है कि इससे उनको हैरानी हो तो I don't want to throw cn anybody's nose; इसलिये संशोधन वापिस लेने की अनुमति सदन से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा, क्लॉज़ १ (ए)।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—that may be considered as moved by me

श्री उपाध्यक्ष—Clause A may be renumbered as 2.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— Not necessary, it is simply renumbering.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में एक नया अमेंडमेंट श्री बृजसुन्दर का मंत्री इन्चार्ज ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

संशोधन इस प्रकार है :

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो कोन्सीक्वेंशियल अमेंडमेंट है साहब। यह तो वैसे ही हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो मैं भी यही समझता हूं कि यह तरमीम वैसे ही बेकार है। फिर यह मूवर द्वारा मूव भी नहीं हुई है तो इसको जाने दिया जावे।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल एवं टाइटल विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल एवं टाइटल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब खत्म कीजिये साहब, कल साढ़े आठ बजे रखिये साहब आगे का काम।

श्री हिम्मतसिंह—छुट्टी दे दीजियेगा।

श्री गोपीलाल यादव—यह बिल रीप्रिन्ट होकर बांटा जावे साहब क्योंकि इसमें इतने चेन्जेज़ हो गये हैं कि इसको समझना ही नामुमकिन सा है। तो इसलिये यह रीप्रिन्ट होकर नये बिल की तरह चाहे उसे सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेजना पड़े, छपवा कर बांटा जाना जरूरी है और

[श्री गोपीलाल यादव]

इसके बाद एक हफ्ते का समय जरूर मिले, रीप्रिन्ट होने के बाद, ताकि इस पर पूरा विचार किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—आज की सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है कल साढ़े आठ बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर दस मिनट पर कल प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १६ अक्टूबर, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

2026. (339/E. M.) Shri H. K. Vyas. M. L. A., (Div. No. 160) : Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(a) What according to Government standards is the normal compliment of teachers in the Government, Girls, Schools Raisinghnagar, District Ganganagar ?

(b) What was the actual number of teachers provided last year in this School ?

(c) Will the Government state the reasons for not providing the full staff ?

उत्तर

(a) 7 teachers.

(b) Last year 7 teachers were working in the School. In the middle of the session last year there was some conflict among the staff and hence 3 teachers had to be transferred for administrative reasons. One teacher being a victim of T. B, was on long leave on medical grounds. Hence the School remained short of staff by four teachers for a period of about 3 months.

(c) The required number of teaching staff has already been provided to this Institution this Year.

प्रश्न

२०२६. (२५०/इ. एम.) श्री रामदयाल उपाध्यक्ष, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३३—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने हाई स्कूल विकास योजना में लिए गये हैं ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सरकार उन हाई स्कूलों में क्या क्या नये कार्य करावेगी ?

(ग) अब तक इस योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(क) राजस्थान में विकास योजना के अन्तर्गत मिड़िल स्कूल वास कृपालनगर को एग्रीकल्चर हाई स्कूल बना दिया गया है इसके अतिरिक्त पहली राजस्थान स्टेट पंच वर्षीय योजना में ४४ हाई स्कूल खोले गये हैं।

(ख) इन स्कूलों में जिन जिन विषयों की आवश्यकता थी वह खोल दिये गये हैं व जिस जिस साज सज्जा की आवश्यकता थी आवश्यकतानुसार दे दी गई है।

(ग) अब तक इस योजना व शिक्षित वर्ग में फैली बेकारी दूर करने संबन्धित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

१. नये स्कूल व कॉलेज खोले गये।

१. डिग्री कॉलेज	१
२. इन्जीनियरिंग कॉलेज	१
३. इन्टर कॉलेज	६
४. हाई स्कूल	४५ (एक हाई स्कूल कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खोला गया)
५. मिड़िल स्कूल	८४
६. प्राइमरी स्कूल	३०४४

२. शिक्षकों की प्रशिक्षा का विस्तार किया गया राष्ट्रीय छात्र संघ (ए० सी०सी०) की टुकड़ियां स्थान स्थान पर चालू की गईं।

३. वर्तमान स्कूलों में साधारण विस्तार के लिए अतिरिक्त अध्यापक रखे गये और आवश्यकतानुसार संस्थाओं को भेजे गये।

४. जन साधारण में प्रशिक्षा को पूरा करने के लिए समाज शिक्षण व प्रौढ़ शिक्षण का कार्य किया गया।

५. वाहन एवं यातायात लड़कियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यातायात की व्यवस्था की गई।

६. स्कूल भवनों में साधारण मरम्मत कराई गई।

७. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विकासों के लिए विशेषज्ञों के विचारों से आदान-प्रदान हेतु सम्मेलन की योजना की गई।

८. स्कूलों में साज सज्जा तथा यन्त्रों की व्यवस्था की गई।

९. कॉलेजों में अतिरिक्त शिक्षकों तथा साज सज्जा की व्यवस्था की गई।

१०. गिरता तहसील उदयपुर में शिक्षा विकास की एक बहु सूत्री योजना चल रही है जिस के अन्तर्गत जनता कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, बेसिक स्कूल आदि चल रहे हैं।

प्रश्न

२०३१. (२४०/एल. एल. एम.) श्री शिवदानसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४०—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री नाथद्वारे की नगरपालिका की अवधि समाप्त हो चुकी है ?

(ख) अगर हां, तो कब नया निर्वाचन शुरू होगा ?

(ग) उपरोक्त नगरपालिका के लिए कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित है।

(घ) क्या निर्धारित संख्या के अनुसार वर्तमान में सदस्य मौजूद हैं ?

(ङ) अगर नहीं, तो कब से और कितने सदस्य कम हैं ?

(च) क्या उपरोक्त नगरपालिका में निर्धारित संख्या में सदस्य न होते हुए भी अभी तक बाई-इलेक्शन नहीं कराये गये हैं ?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) शीघ्र ही।

(ग) दस।

(घ) नहीं, छः मौजूद हैं और चार ने त्याग-पत्र दे दिया है।

(ङ) एक सदस्य ने ११. १. ५२. को व तीन सदस्यों ने २०. ८. ५१ को त्याग-पत्र दिये थे। इस तरह कुल चार सदस्य कम हैं।

(च) बाई-इलेक्शन कलेक्टर द्वारा ही सम्पन्न कराये जाते हैं। इस विषय में कलेक्टर उदयपुर से रिपोर्ट मांगी गई है अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २०२८ का उत्तर देखिये)

Schedule of Printing Rates

Size	12 points.	10 points.	8 points.	6 points.
17X27, 20X26, 18X22, 20X30 } 1/8	2/8/-	3/-	4/-	5/-

For statements work

Full	11/8/-	14/8/-	20/-	26/4/-
½	6/-/-	7/8/-	10/8/-	13/8/-
¼	3/-/-	3/12/-	5/8/-	7/-/-
	1/8/-	2/-/-	2/8/-	3/8/-

Printing charges

Full ...	Rs.	7/- per 1000
½ ...		4/8/- „
¼ ...		3/-/- „
Below ¼ ...		3/-/- „

1. Composing charge on Monotype machine will be 25% higher.

2. Rulling charges Rs. 1½ per thousand impression. Stop rulling according to nature of work.

3. Limp Binding. -/4/- per book full size
-/3/- per book half size.
-/2/- per book ¼ size.
-/1/- per book 1/8 or below.

4. Stiff binding cloth book. -/8/- quarter. -/12/- half 1/- full.

5. Stiff Binding leather book -/12/- „ 1/12/- „ 1/8/- stiff binding.

6. Other kind of binding will be charged according to quality of work (including Jug binding).

7. Perforation -/6/- per 1000.

8. Stitching 4/- per 1000 stitches inclusive cost of fire.

9. Eyeleting Rs. 2½ per thousand on labour only.

10. Number -/6/- per thousand.

11. Cover cloth pasting—¼

	Full size.	Half size.
2/- per %	5/-%	2/8 %
		Relief 1/- %

12. Die Embossing 2/8/- per 100.

13. Cutting charges -/2/- a cut.

14. Labour of Lungi Pattas- -/8/- each.

15. Labour of preparing File pads -/2/- each.

16. Labour of preparing stiff filing -/6/- each.

17. Folding and Collating 1/4/- per 1000 in quadurplicate
/15/- per 1000. in duplicate
/8/- per 100 in duplicate
} Collated form.

These rates do not cover special jobs for which the Superintendents of each Press will charge according to nature of the work.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २०३२ का उत्तर देखिए)

खर्च का विवरण भाग ख के अनुसार

आर्थिक वर्ष १९५१-५२	५२-५३	५३-५४	जिस काम के लिए व्यय हुआ उसका विवरण	कहां २ व्यय हुआ उसका विवरण
२,७४७	२२,२४५	२६,६९१	इन्डस्ट्रीयल एजूकेशन	जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर डिविजन्स
९३,०९८	११,६९१९३	३,८०,९३८	शीप एण्ड वूल इम्प्रुवमेंट	शीप ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन, व जयपुर एनेलाइजिंग लेब्रोरेटरी, जयपुर
				वूल मेंडिंग एन्ड मार्केटिंग ओरगेनाइजेशन, जयपुर
				,, जोधपुर
				,, जैसलमेर
				शीप ब्रीडिंग फार्म, बीकानेर
				,, जोधपुर
४७,०३९	४०,०३१	५७,०१४	सेन्ट्रल मारकेटिंग	मारकेटिंग आफिस, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और देहली
१,४६,४१५	१,५४,९५७	१,६६,०४६	कोटेज इन्डस्ट्रीज़ इन्स्टीट्यूट्स।	कोटेज इन्डस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजगढ़ और चूरू

१	२	३	४	५
८६,४७२	६४,४१६	७४,५०८	पाम गुर इन्डस्ट्रीज़	ताड़ गुड़ शिक्षण केन्द्र, जमुवारामगढ़, ताला, प्रतापगढ़, मंड, मोझर सोराविसल, रेनवाल, टोडीसागर, सवाई मावोपुर, ब्रह्पुरी, हमीदगढ़ मांडोली, आचारी, छोटीसादड़ी, बांसवाड़ा, चाटोर, चारबजा, सागवाड़ा, सावला, कालोज, कोटड़ा, फंडवारा, वावरी, डैरा, रायपुरा और बूंदी ।
,,	६,३०८	७,५१५	सॉल्ट एन्ड ब्रस	भरतपुर
८,६६८	७,०२०	६००		जयपुर ।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २०४३ का उत्तर देखिये)

VILLAGE PANCHAYAT DEPARTMENT RURAL WATER SUPPLY SCHEME DISTRICT JAISALMER.

S. No.	Description of Works	Panchayat	Tehsil	Estimated Amount	Contribution by Panchayat	Govt. Aid.
1.	Construction o f structure and repairs to well at Myajalar			5,000	1,660	3,340
2.	Now construction parties dors to well at Hajitpura			15,000	5,000	10,000
3.	Now construction to reservoir at village Bhadaria (25X12X12)			4,000	1,300	2,700
4.	Construction of well at Pitharha-ki-Dhani			4,000	1,400	2,600
5.	Repairs to well at Shanajanh			4,000	1,400	2,600
6.	Repairs to reservoir in 7th File Barmer Road			7,000	2,330	4,670
7.	Desilting and Deepening bid to Badi at Village Dhamli			5,000	1,660	3,340
8.	,, ,, ,, ,, ,, Girjassar Tank			3,000	1,000	2,000
9.	,, ,, ,, ,, ,, Ramatlai			2,000	660	1,340
10.	,, ,, ,, ,, ,, Kodiyasar Tank			3,000	1,000	2,000
11.	,, ,, ,, ,, ,, Jigai Tank			2,000	660	1,340
12.	,, ,, ,, ,, ,, Chhod Tank			3,000	1,000	2,000
13.	,, ,, ,, ,, ,, Patrajaar Tank			2,500	800	1,700
14.	,, ,, ,, ,, ,, Bagasar Tank			2,000	650	1,350
15.	,, ,, ,, ,, ,, Mandal Tank			4,000	1,300	2,700
				65,500	21,820	43,680

शुद्धि-पत्र

१६-१०-५४

१. कृपया पृष्ठ संख्या ७१७६ की पंक्ति संख्या १३ में '१६५२' के स्थान पर '१९५४' पढ़ें ।

२. कृपया पृष्ठ संख्या ७२०५ के शीर्षक में 'राजास्थान' के स्थान पर 'राजस्थान' पढ़ें ।

३. कृपया पृष्ठ संख्या ७२२० के शीर्षक में 'रास्थान' के स्थान पर 'राजस्थान' पढ़ें ।